श्रम एवं नियोजन विभाग

अधिसूचनाएं

8 जून 1981

एस० ओ० 823, दिनांक 10 जून 1981—अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1979 (1979 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित नियमावली बनाते हैं, जो उक्त धारा की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार बिहार गजट, असाधारण अंक, दिनांक 10 मार्च 1981 में पहले ही प्रकाशित हो चुका है :—

नियमावली

अध्याय 1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—(1) यह नियमावली बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1980 कहलायेगी।

(2) यह बिहार गजट में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं।—(1) जबतक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्त्ते) अधिनियम, 1979;

(ख) "अपीली पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 11 के अधीन नामनिर्दिष्ट अपीली अधिकारी;

(ग) "श्रमायुक्त, बिहार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा उस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(घ) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फारम;

(ङ) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के अधीन नियुक्त कोई निरीक्षक;

(च) "लाइसेंस अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 7 के अधीन नियुक्त लाइसेंस अधिकारी;

(छ) "प्रवासी कर्मकार" से अभिप्रेत है धारा 2 में परिभाषित अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार ;

(ज) "रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा धारा 3 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी ;

(झ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की कोई धारा ;

(ञ) "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा धारा 12 और धारा 16 के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किया जाए; और

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त, किन्तु इसमें अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं ।

अध्याय 2

3. स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन करने की रीति ।—(1) धारा 4 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र फारम संख्या 1 में (तीन प्रतियों में), उस क्षेत्र के रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी के समक्ष करना होगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत की जानेवाली स्थापना स्थित है ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र के साथ स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिये फीस का भुगतान दिखलाने वाला कोषागार चालान भी लगा रहेगा ।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र या तो व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी को दिया जायगा या उसे पावती सहित निबंधित डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र की प्राप्ति के पश्चात् रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी, आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तिथि उस पर अंकित करने के बाद आवेदक को एक पावती देगा ।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का जारी किया जाना ।—(1) जहां फारम 1 में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त किया जाए, वहां रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी उसमें दिये गये कथनों की सत्यता के बारे में समाधान हो जाने पर स्थापना का रजिस्ट्रीकरण करेगा और प्रधान नियोजक को फारम 2 में एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी फारम 3 में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसी स्थापनाओं के ब्योरे उल्लिखित रहेंगे जिनके बारे में उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ।

(3) यदि किसी स्थापना के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में विहित विशिष्टियों में कोई परिवर्त्तन किया जाए, तो स्थापना का प्रधान नियोजक रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी को परिवर्त्तन होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे परिवर्त्तन की विशिष्टियां और उसके कारण सूचित करेगा ।

5. परिस्थितियां, जिनमें रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन नामंजूर किया जा सकेगा ।—(1) यदि रजिस्ट्रीकरण के लिये कोई आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, तो रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी प्रधान नियोजक से आवेदन को पन्द्रह दिनों के भीतर संशोधित करने की अपेक्षा करेगा ताकि वह सभी प्रकार से पूर्ण किया जा सके ।

(2) यदि प्रधान नियोजक रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का संशोधन करने के लिये रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी द्वारा अपेक्षित किये जाने पर इसके संबंध में विहित अवधि के भीतर जानकारी एवं विमर्शपूर्वक ऐसा नहीं करे या उसमें असफल रह जाए, तो रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन को नामंजूर कर देगा ।

(3) रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी की राय में, यदि कोई प्रधान नियोजक, जिससे रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन प्राप्त हुआ हो, किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत, ऐसे कार्य-कलापों में अन्तर्ग्रस्त पाया गया हो जो सामाजिक सामंजस्य या हितों के विरुद्ध हों या जिसके पास जीविका का कोई माननीय स्रोत न हो, या जिसके हाथों में प्रवासी कर्मकारों का हित सुरक्षित न रहने की आशंका हो, तो वह रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का संशोधन ।—(1) नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन प्रत्येक सूचना के साथ चालू रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और एक कोषागार चालान लगा रहेगा, जिसमें 5 रु० और उस रकम की अदायगी दिखलायी रहेगी, जो रकम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के लिये शुरू में चुकाई गई फीस की रकम से उस स्थिति में अधिक रूप में देय होगी, यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र शुरू में ही संशोधित रूप में निर्गत किया गया होता ।

(2) यदि नियम 4 के उप-नियम (3) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का समाधान हो जाए कि स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रधान

नियोजक द्वारा दी गई फीस की रकम से अधिक रकम देय है तो वह प्रधान नियोजक से यह अपेक्षा करेगा कि वह पन्द्रह दिनों के भीतर इतनी रकम जमा करे जो प्रधान नियोजक द्वारा पहले दी गई रकम के साथ मिलकर स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिये ऐसी देय उच्चतर रकम के बराबर है और ऐसी कोषागार रसीद पेश करे जिसमें ऐसा जमा किया जाना दिखलाया गया हो।

(3) जहां नियम 4 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त हुई हो और रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी का समाधान हो जाए कि स्थापना की विशिष्टियों में, जैसी कि वे फारम 3 में रजिस्ट्रर में दर्ज की गई हैं, कोई परिवर्तन हुआ है, वहां वह उक्त रजिस्टर का संशोधन करेगा और उनमें इस प्रकार हुए परिवर्तन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु ऐसा कोई संशोधन ऐसे संशोधन से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा :

परन्तु यह और भी, कि रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी फारम 3 वाली रजिस्टर में तबतक कोई संशोधन नहीं करेगा जबतक, कि प्रधान नियोजक द्वारा समुचित फीस जमा नहीं कर दी जाती है।

(4) फारम 3 वाले रजिस्ट्रर के संशोधित हो जाने के बाद, रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी, अपने हस्ताक्षर और कार्यालय-मुहर के साथ, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में भी आनुक्रमिक प्रविष्टियां करेगा और उसे प्रधान नियोजक को लौटा देगा।

7. लाइसेंस के लिये आवेदन।—(1) किसी ठेकेदार द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी व्यक्ति को भर्त्ती करने के लिये लाइसेंस के दिये जाने के लिये फारम 4 में आवेदन तीन प्रतियों में उस लाइसेंस पदाधिकारी को किया जाएगा, जिसकी उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता जिसमें भर्त्ती की जाती है।

(2) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी प्रवासी कर्मकार को नियोजित करने के लिये फारम 5 में आवेदन तीन प्रतियों में ठेकेदार द्वारा उस लाइसेंस अधिकारी को किया जाएगा जिसकी उस क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता है जिसमें स्थापना स्थित है।

(3) (i) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन लाइसेंस दि जाने के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ प्रधान नियोजक का फारम 6 में इ

आशय का प्रमाण-पत्र भी लगा होगा कि वह अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा आबद्ध होने का वचन देता है, जहां तक वे प्रवासी कर्मकारों की, जिनके संबंध में ठेकेदार आवेदन कर रहा हो, भर्त्ती या नियोजन के संबंध में उस पर लागू होते हैं।

(ii) ऐसा प्रत्येक आवेदन लाइसेंस अधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा या उसे पावती सहित निबंधित डाक द्वारा भेजा जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर संबद्ध लाइसेंस अधिकारी उस पर प्राप्ति तिथि अंकित करने के पश्चात् आवेदक को रसीद देगा।

(5) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन के साथ एक कोषागार चालान भी लगा रहेगा जिसमें नियम 12 की अपेक्षानुसार फीस का भुगतान और नियम 10 के अधीन निर्धारित प्रतिभूति जमा की रकम भी दिखाई गई हो।

8. वे विषय जिनपर लाइसेंस के देने या उसके नामंजूर करने के संबंध में विचार किया जाएगा। लाइसेंस देने या देने से इन्कार करते समय लाइसेंस अधिकारी निम्नलिखित विषयों पर विचार करेगा :—

(क) क्या आवेदक—

(i) अवयस्क है, या

(ii) विकृत चित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, या

(iii) अननुमोचित दिवालिया है, या

(iv) आवेदन की तारीख से ठीक पांच वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान किसी समय ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त, है, या

(v) किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच के उपरांत ऐसे कार्यकलापों में अंतर्ग्रस्त पाया गया है, जो सामाजिक सामंजस्य या हितों के विरुद्ध हों या जिसके पास जीविका का कोई माननीय स्रोत न हो या जिसके हाथों में प्रवासी कर्मकारों का हित सुरक्षित न रहने की आशंका हो;

(ख) क्या धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदक के संबंध में कोई आदेश किया गया है और यदि किया गया है तो क्या उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीत गई है;

(ङ) क्या आवेदन के लिये नियम 12 में निर्दिष्ट दरों पर फीस जमा कर दी गई है; और

(च) क्या आवेदक द्वारा नियम 10 के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति, जहां आवश्यक हो, जमा कर दी गई है।

9. लाइसेंस प्रदान करने से इन्कार।—(1) ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर और उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र लाइसेंस अधिकारी आवेदन में दिये गये तथ्यों और विशिष्टियों की शुद्धता के बारे में और लाइसेंस के लिये आवेदक की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिये जांच करेगा या जांच करवाएगा।

(2) (*i*) जहां लाइसेंस अधिकारी की यह राय हो कि लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिये, वहां आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करने का आदेश करेगा।

(*ii*) आदेश में नामंजूरी करने के कारण अभिलिखित किये जाएंगे और आवेदक को सूचित किए जायेंगे।

10. प्रतिभूति।—(1) जहां लाइसेंस अधिकारी का धारा 8 की उप-धारा (2) के परन्तुक में विनिहित प्रक्रिया के अनुसार समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने लाइसेंस के लिये आवेदन किया है या जिसे लाइसेंस जारी किया गया है, लाइसेंस की शर्तों के सम्यक् पालन के लिये प्रतिभूति देनी चाहिए वहां वह नियोजित किये जाने वाले प्रवासी कर्मकारों की प्रस्तावित संख्या, उनके नियोजन की अवधि, उन्हें देय मजदूरी की दरों, नियोजन का स्थान, उन्हें देय सुविधाएं और उक्त धारा की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अन्य प्रसंगोचित तथ्यों के आधार पर प्रवासी कर्मकारों की भर्ती या नियोजन के लिये अपेक्षित रकम की व्यवस्था करने के लिये प्राक्कलन तैयार करेगा और ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली प्रतिभूति की रकम निर्धारित करेगा, जो उसके द्वारा प्राक्कलित रकम के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दी जानेवाली प्रतिभूति की रकम, लाइसेंस के लिये फीस के रूप में देय रकम की बीस गुनी रकम से कम नहीं होगी।

(2) जहां आवेदक किसी अन्य कार्य के लिये लाइसेंस धारण करता था और वह लाइसेंस समाप्त हो गया था, वहां लाइसेंस अधिकारी, यदि उसकी राय में उस लाइसेंस के संबंध में जमा की गई प्रतिभूति में से, कोई रकम आवेदक को नियम 17 के अधीन वापस की जानी है, आवेदक द्वारा फारम 7 में उस प्रयोजन

के लिये किये गये आवेदन पर इस प्रकार वापस की जाने वाली रकम का उस प्रतिभूति के संबंध में, यदि कोई हो, समायोजन कर सकेगा और ऐसी दशा में ऐसा समायोजन करने के पश्चात् आवेदक को केवल शेष रकम जमा करनी होगी।

11. लाइसेंस के फारम और निबंधन तथा शर्तें।—(1) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस क्रमशः फारम 8 और फारम 8-क में होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन दिया गया या नियम 14 के अधीन नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :—

(*i*) लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा।

(*ii*) करार के निबंधनों और शर्तों या अन्य व्यवस्था का, जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार भर्ती या नियोजित किया जाता है, पालन किया जायगा।

(*iii*) भर्ती किये गये या नियोजित प्रवासी कर्मकारों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(*iv*) स्थापना में प्रवासी कर्मकारों के रूप में भर्ती किये गये या नियोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन शर्त (ग) में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(*v*) ठेकेदार द्वारा प्रवासी कर्मकारों को नियोजन के लिये देय मजदूरी की दरें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन विहित दरों से कम नहीं होंगी और जहां दरें, करार, व्यवस्था या पंचाट द्वारा नियत की गई हैं, वहां वे इस प्रकार नियत दरों से कम नहीं होंगी।

(*vi*) इन नियमों में जैसा उपबंधित है; उसको छोडकर लाइसेंस के यथास्थिति जो किये जाने या नवीकरण के लिये दी गई फीस अप्रतिदाय होगी।

(*vii*) (क) उन मामलों में जहां जो ठेकेदार द्वारा भर्ती किये गये या नियोजित प्रवासी कर्मकार वैसा या उसी प्रकार का काम करते हैं जो स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हैं, वहां ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा वैसे या उसी प्रकार के कार्य के लिये सीधे नियोजित किये गये कर्मकारों पर लागू होती हैं :

परन्तु काम के प्रकार के संबंध में मतभेद की दशा में उसका विनिश्चय श्रमायुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(अ) अन्य मामलों में ठेकेदार द्वारा भर्त्ती किये गये या नियोजित किये गये प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, काम के घंटे और सेवा की शर्त्तें ऐसी होंगी जो इन नियमों द्वारा विहित की जाएंगी।

(*viii*) प्रत्येक प्रवासी कर्मकार उन भत्तों, फायदों, सुविधाओं आदि का हकदार होगा जो अधिनियम या इन नियमों द्वारा विहित हैं।

(*ix*) कोई भी महिला प्रवासी कर्मकार किसी ठेकेदार द्वारा 6 बजे पूर्वाह्न के पहले या सात बजे अपराह्न के बाद काम में नहीं लगायी जाएगी :

परन्तु यह शर्त्त गर्तमुख स्नान कक्षों, शिशुकक्ष, भोजनालय (कैंटीन) में, महिला प्रवासी कर्मकार पर तथा अस्पतालों और औषधालयों में धात्रियों (मिडवाइफ), और नर्सों के रूप में महिला कर्मकारों के नियोजन पर लागू नहीं होगी।

(*x*) ठेकेदार प्रवासी कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्त्तों में हुए परिवर्त्तन लाइसेंस अधिकारी को पन्द्रह दिनों के भीतर सूचित करेगा।

(*xi*) ठेकेदार अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

(*xii*) लाइसेंस की एक प्रति परिसर के, जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित किये गये हैं, किसी सुगोचर स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

(*xiii*) वह अवधि जिसके लिये लाइसेंस विधिमान्य होगा।

(3) लाइसेंस अधिकारी फारम 8-ख में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें ऐसे ठेकेदारों की विशिष्टियां दी रहेंगी जिनके बारे में उसके द्वारा लाइसेंस जारी किया गया हो।

12. फीस।—(1) किसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र दिये जाने के लिये धारा 4 के अधीन दी जाने वाली फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:—

यदि स्थापना में किसी दिन नियोजित किये जाने के लिये प्रस्तावित प्रवासी कर्मकारों की संख्या—

		रु०
(क)	5 है किन्तु 20 से अधिक नहीं है ..	45.00
(ख)	20 से अधिक हो, किन्तु 50 से अधिक नहीं हो	112.00
(ग)	50 से अधिक हो, किन्तु 100 से अधिक नहीं हो	225.00
(घ)	100 से अधिक हो, किन्तु 200 से अधिक नहीं हो	450.00
(ङ)	200 से अधिक हो, किन्तु 400 से अधिक नहीं हो	900.00
(च)	400 से अधिक हो	1,125.00

(2) धारा 8 के अधीन लाइसेंस के लिये दी जानेवाली फीस वह होगी जो नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:—

यदि ठेकेदार द्वारा भर्त्ती किये गये या नियोजित किये गये प्रवासी कर्मकारों की संख्या किसी दिन—

		रु०
(क)	5 है किन्तु 20 से अधिक नहीं है ..	20.00
(ख)	20 से अधिक हो, किन्तु 50 से अधिक नहीं हो	40.00
(ग)	50 से अधिक हो, किन्तु 100 से अधिक नहीं हो	80.00
(घ)	100 से अधिक हो, किन्तु 200 से अधिक नहीं हो	160.00
(ङ)	200 से अधिक हो, किन्तु 400 से अधिक नहीं हो	320.00
(च)	400 से अधिक हो	400.00

13. लाइसेंस का संशोधन।—(1) नियम 11 के अधीन जारी किया गया या नियम 14 के अधीन नवीकृत किया गया लाइसेंस पर्याप्त कारणों से लाइसेंस अधिकारी द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

(2) लाइसेंस को संशोधित कराने का इच्छुक ठेकेदार लाइसेंस अधिकारी को, संशोधन के स्वरूप और उसके कारण बताते हुए, एक आवेदन ऐसे संशोधन का अवसर आने की तारीख से तीस दिनों के भीतर देगा।

(3) उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना के साथ चालू लाइसेंस और एक कोषागार चालान लगा रहेगा, जिसमें 5 रु० और उस रकम की अदायगी दिखलायी रहेगी, जो रकम लाइसेंस के लिये शुरू में चुकाई गई फीस की रकम से उस स्थिति में अधिक रूप में देय होगी, यदि लाइसेंस शुरू में ही संशोधित रूप में निर्गत किया गया होता।

(4) यदि उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर लाइसेंस अधिकारी का समाधान हो जाए कि लाइसेंस प्रदान करने के लिये ठेकेदार द्वारा दी गई फीस की रकम से अधिक रकम देय है, तो वह ठेकेदार से यह अपेक्षा करेगा कि वह पन्द्रह दिनों के भीतर इतनी रकम जमा करे जो ठेकेदार द्वारा पहले दी गई रकम के साथ मिलकर लाइसेंस के लिये ऐसी देय उच्चतर रकम के बराबर हो जाए और ऐसी कोषागार रसीद पेश करे जिसमें ऐसा जमा किया जाना दिखाया गया हो।

(5) जहां उप-नियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त हुई हो और लाइसेंस पदाधिकारी का समाधान हो जाए कि लाइसेंस की विशिष्टियों में, जैसी कि वे फारम 8-ख में रजिस्टर में दर्ज की गई हैं, कोई परिवर्तन हुआ है, तो वह उक्त रजिस्टर में संशोधन करेगा और उसमें इस प्रकार हुए परिवर्तन को अभिलिखित करेगा :

परन्तु ऐसा कोई संशोधन ऐसे संशोधन से पूर्व की गई किसी बात या कार्य-वाही या अर्जित किसी अधिकार या उपगत किसी बाध्यता या दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा :

परन्तु यह और भी कि लाइसेंस अधिकारी फारम 8-ख में रजिस्टर में तब तक कोई संशोधन नहीं करेगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा समुचित फीस जमा नहीं कर दी जाती है।

(6) फारम 8-ख वाले रजिस्टर के संशोधन हो जाने के बाद लाइसेंस पदाधिकारी अपने हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर के साथ ,यथास्थिति फारम 8 और फार्म 8-ख में जारी लाइसेंस में भी आनुक्रमिक प्रविष्टियां करेगा और उसे ठेकेदार को लौटा देगा।

(7) जहां संशोधन के लिये आवेदन नामंजूर कर दिया जाए, वहां लाइसेंस पदाधिकारी ऐसे इन्कार के कारण अभिलिखित करेगा और आवेदक को उसकी सूचना देगा।

14. लाइसेंस का नवीकरण—(1) प्रत्येक ठेकेदार लाइसेंस के नवीकरण के लिये लाइसेंस अधिकारी के पास आवेदन कर सकेगा।

(2) लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन फारम 9 में तीन प्रतियों में किया जाएगा और उस तारीख से, जिस तारीख को लाइसेंस समाप्त होता है, कम-से-कम तीस दिन पूर्व किया जाएगा और यदि आवेदन इस प्रकार किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि लाइसेंस उस तारीख तक नवीकृत किया गया है जबकि नवीकृत लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

(3) लाइसेंस के नवीकरण के लिये देय फीस वही होगी जो लाइसेंस देने के लिये है :

परन्तु यदि आवेदन उप-नियम (2) में विहित अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो लाइसेंस के लिये साधारणतः देय फीस के पचीस प्रतिशत प्रति तिमाही अधिक फीस ऐसे नवीकरण के लिये देय होगी :

परन्तु यह और भी कि उस दशा में जहां लाइसेंस पदाधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदन करने में विलम्ब ठेकेदार के नियंत्रण के परे अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है, तो वह ऐसी अधिक फीस को कम कर सकेगा या उसे माफ कर सकेगा।

15. लाइसेंस के नवीकरण की अवधि—नियम 14 के अधीन नवीकृत प्रत्येक लाइसेंस नवीकरण के आदेश की तारीख से आगे बारह मास की अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा।

16. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या लाइसेंस की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—जहां पूर्ववर्ती नियमों के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या लाइसेंस खो गया हो, विरूपित हो गया हो या दुर्घटनावश नष्ट हो गया हो, वहां उसकी दूसरी प्रति कोषागार चालान द्वारा 10 रु० (दस रुपये) मात्र की फीस जमा करने पर दी जा सकेगी।

17. प्रतिभूति का वापस किया जाना—(1) (*i*) लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर यदि ठेकेदार लाइसेंस का नवीकरण नहीं कराना चाहता हो या नियम 10 के उप-नियम (2) के अनुसार लाइसेंस के लिये फिर से दिये जानेवाले आवेदन के संबंध में प्रतिभूति को समायोजित नहीं कराना चाहता हो तो वह नियम 10 के अधीन उसके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति, यदि कोई हो, की वापसी के लिये लाइसेंस अधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(*ii*) यदि लाइसेंस अधिकारी का समाधान हो जाए कि लाइसेंस की शर्तों का भंग नहीं हुआ है या धारा 10 के अधीन प्रतिभूति या उसके किसी भाग की जब्ती का आदेश नहीं है, तो वह आवेदक को प्रतिभूति वापस की जाने का निदेश देगा।

(2) यदि सम्पूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग की जब्ती का आदेश हो तो जब्त रकम प्रतिभूति निक्षेप से काट ली जायगी और शेष रकम, यदि कोई हो, आवेदक को वापस कर दी जाएगी।

(3) वापसी के लिये आवेदन यथासंभव आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।

18. अपील और प्रक्रिया—(1) (*i*) धारा 1 के अधीन प्रत्येक अपील एक ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर अपीलकर्त्ता या उसके प्राधिकृत

अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर होगा और वह या तो व्यक्तिगत रूप से अपीली अधिकारी के पास दिया जाएगा या पावती सहित निबंधित डाक द्वारा भेजा जायगा ।

(*ii*) उक्त ज्ञापन के साथ उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि रहेगी जिसके विरुद्ध अपील की जाएगी और उसके साथ 25 रु० (पचीस रुपये) मात्र का कोषागार चालान भी लगा रहेगा।

(2) उक्त ज्ञापन में अपील के आधार संक्षेप में और स्पष्ट शीर्षकों के अधीन अधिकथित किये जायेंगे जिस आदेश के विरुद्ध अपील की जाए ।

(3) जहां अपील का ज्ञापन उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुरूप नहीं हो, वहां वह या तो नामंजूर कर दिया जायगा अथवा अपीलकर्त्ता को पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर संशोधन करने के प्रयोजनार्थ लौटा दिया जायेगा।

(4) जहां अपीली अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन किसी अपील के ज्ञापन को नामंजूर करे, वहां इस प्रकार की नामंजूरी के कारणों को अभिलिखित करेगा और उन्हें अपीलकर्त्ता को सूचित करेगा ।

(5) जहां अपील का ज्ञापन सही रूप में हो, वहां अपीली अधिकारी अपील को ग्रहण करेगा, इस पर उसके उपस्थापन की तिथि अंकित करेगा और अपील को इस प्रयोजन हेतु रखे गए अपील रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(6) (*i*) जब अपील गृहीत हो जाए, तब अपीली अधिकारी यथास्थिति उस रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी या लाइसेंस अधिकारी को सूचना भेजेगा, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी है। तत्पश्चात् यथास्थिति, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी या लाइसेंस अधिकारी मामले का अभिलेख अपीली अधिकारी को भेजेगा।

(*ii*) अभिलेख की प्राप्ति होने पर अपीली अधिकारी अपीलकर्त्ता को अपने समक्ष ऐसी तारीख और ऐसे समय पर, जो अपील की सुनवाई के लिये सूचना में विनिर्दिष्ट है, हाजिर होने के लिये सूचना भेजेगा ।

(7) यदि सुनवाई के लिये सुनिश्चित की गई तारीख पर अपीलकर्त्ता हाजिर नहीं होगा, तो अपीली अधिकारी अपीलकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण पर अपील को खारिज कर सकेगा।

(8) (*i*) जहां उप-नियम (7) के अधीन किसी अपील को खारिज कर दिया जाए, वहां अपीलकर्त्ता अपीली अधिकारी के समक्ष अपील को पुनः ग्रहण करने के निमित्त आवेदन-पत्र दे सकेगा और जहां यह साबित हो जाए कि पर्याप्त कारणों से वह अपील की सुनवाई के समक्ष हाजिर नहीं हो सका था वहां अपीली अधिकारी मूल संख्या पर ही अपील को पुनः ग्रहण कर लेगा।

(*ii*) उप-नियम (*i*) के अधीन आवेदन, जब तक कि अपीली अधिकारी पर्याप्त कारण से उसके लिये समय नहीं बढ़ा देता है, खारिज किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर किया जाएगा।

(9) (*i*) यदि अपील की सुनवाई के लिये पुकार होने पर अपीलकर्त्ता हाजिर है तो अपीली अधिकारी अपीलकर्त्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्त्ता या उस

प्रयोजन के लिये उसके द्वारा सम्मन किये गये किसी अन्य व्यक्ति को सुनने के बाद अपील किये गए आदेश को पुष्ट, प्रत्यावर्तित या रूपान्तरित करते हुए अपील पर निर्णय सुनाएगा ।

(*ii*) अपीली अधिकारी के निर्णय में अवधारणीय बिन्दुओं, उन पर निर्णयों और निर्णय के कारणों का उल्लेख रहेगा।

(*iii*) अपीलकर्त्ता को आदेश संसूचित कर दिया जाएगा और उसकी प्रतिलिपि, यथास्थिति उस रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी या लाइसेंस अधिकारी को भी भेजी जायगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की गयी थी।

19. आदेश की प्रतियां प्राप्त करना—रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लाइसेंस अधिकारी या अपीली अधिकारी के आदेश की प्रतिलिपि की एक प्रति आदेश की तारीख और अन्य विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन किये जाने पर और कोषागार चालान द्वारा पांच रुपया की फीस जमा करने पर दी जाएगी।

20. फीसों और प्रतिभूति निक्षेपों का भुगतान—(1) इन नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण लाइसेंस, लाइसेंस के नवीकरण, अपील आदि के लिए देय सभी फीसों का भुगतान स्थानीय कोषागार में लेखा शीर्षक "087-श्रम और नियोजन—बिहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 1980 के अन्तर्गत फीस" के अधीन किया जाएगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थानीय कोषागार में लेखा शीर्ष "निक्षेप अग्रिम—(क) निक्षेप जिन पर ब्याज नहीं लगेगा—843-सिविल निक्षेप—प्रतिभूति निक्षेप" के अधीन जमा की जायगी ।

अध्याय 3

ठेकेदार के कर्त्तव्य

21. प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां—(1) प्रत्येक ठेकेदार विहित प्राधिकारियों को प्रवासी कर्मकारों की भर्त्ती और नियोजन के संबंध में फारम 10 में विशिष्टियां देगा ।

(2) ठेकेदार सम्बद्ध विहित प्राधिकारियों को विशिष्टियां या तो व्यक्तिगत रूप से देगा या पावती -सहित निबंधित डाक द्वारा उन्हें भेज देगा ।

(3) प्रत्येक ठेकेदार राज्य-सरकार के अधीन संबंधित श्रम प्रवर्तक और जिला मजिस्ट्रेट को वैसे कर्मकारों के विषय में भी विशिष्टियां देगा, जो वैसी स्थापनाओं में काम करने के लिये भर्ती किये गये हैं जिनके लिये समुचित सरकार केंद्रीय सरकार है।

22। वापसी किराया।—ठेकेदार नियोजन की अवधि की समाप्ति के बाद प्रवासी कर्मकार को नियोजन के स्थान से उसके निवास-राज्य में आवास के स्थान तक वापसी किराया देगा।

इसके अलावे उसे—

(क) किसी भी कारण से नियोजन की अवधि की समाप्ति के पूर्व सेवा समाप्त होने पर,

(ख) क्षति के कारण या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित क्षति या निरन्तर रुग्ण स्वास्थ्य के कारण नियोजन के लिये अशक्त हो जाने पर,

(ग) स्थापना में कार्य के बन्द हो जाने पर, जो प्रवासी कर्मकार की गलती के कारण नहीं हुआ हो, और

(घ) ठेकेदार द्वारा नियोजन संबंधी निबन्धनों और शर्तों के पूरे न किये जाने के कारण सेवा से त्याग-पत्र देने पर भी किराया दिया जायगा।

23। पास बुक।—(1) धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पासबक में निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियां भी दिखाई जाएंगी :—

(क) भर्ती की तारीख।

(ख) नियोजन की तारीख।

(ग) कुल उपस्थिति/किये गये कार्य की ईकाई (मात्रानुपाती दर पर नियोजित प्रवासी कर्मकार के संबंध में)/कुल अर्जित मजदूरी/की गई कटौती, अगर की गई हो/भुगताई गई शुद्ध रकम और ठेकेदार या सम्यक् रूप से उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का तारीख सहित हस्ताक्षर, ये प्रविष्टियां भुगतान की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्रत्येक मजदूरी अवधि के संबंध में अलग-अलग की जाएगी।

(घ) प्रवासी कर्मकार के निकट संबंधियों के नाम और पते।

(2) किसी प्रवासी कर्मकार को घातक दुर्घटना या गम्भीर क्षति की दशा में ठेकेदार दोनों राज्यों के विहित प्राधिकारियों को और प्रवासी कर्मकार के निकट संबंधियों को प्रवासी कर्मकार की यथास्थिति मृत्यु या उसकी गम्भीर शारीरिक क्षति के दुर्घटना की तारीख, स्थान और क्षति के स्वरूप के बारे में तुरन्त तार भेजेगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार संबद्ध विहित प्राधिकारियों को प्रवासी कर्मकार के निकट संबंधियों को नीचे वर्णित विशिष्टयों की लिखित रिपोर्ट दुर्घटना होने से चौबीस घंटे के भीतर पावति-सहित निबंधित डाक द्वारा भेजेगा :—

(क) प्रवासी कर्मकार का नाम,
(ख) दुर्घटना की तारीख, स्थान और स्वरूप,
(ग) प्रवासी कर्मकार की हालत (यदि जीवित हो),
(घ) ठेकेदार-प्रधान नियोजक द्वारा की गयी कार्रवायी, एवं
(ङ) अभ्युक्ति।

(3) यदि ठेकेदार उप-नियम (2) के अधीन अपेक्षित रूप से तार द्वारा सूचना और या लिखित रिपोर्ट भेजने में विफल हो जाए, तो प्रधान नियोजक उप-नियम (2) की अपेक्षाओं का यथासम्भव शीघ्र पालन करेगा किन्तु यह दुर्घटना होने के समय से किसी भी दशा में 48 घंटे पश्चात् नहीं होगा।

24। विवरणी और रिपोर्ट।—प्रत्येक ठेकेदार उन प्रवासी कर्मकारों के संबंध में, जिनका नियोजन समाप्त हो गया है, फारम–11 में विहित प्राधिकारियों को एक विवरणी या तो व्यक्तिगत रूप से या पावती सहित निबंधित डाक द्वारा भेजेगा जो प्रवासी कर्मकार के नियोजन की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उन्हें मिल जानी चाहिये।

अध्याय 4।

25। मजदूरी की दर।—यदि किसी स्थापना में किसी प्रवासी कर्मकार से ऐसा कार्य करने की अपेक्षा की जाए, जो उस स्थापना में किसी अन्य कर्मकार द्वारा किये जाने वाले कार्य से भिन्न स्वरूप या प्रकार का हो, तो उसे दी जाने वाली मजदूरी की दर प्रधान नियोजन द्वारा उप-स्थापना में सीधे भर्ती किये गये न्यूनतम श्रेणी के कर्मकार को दी जाने वाली मजदूरी की दर से, या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन वैसे या उसी प्रकार के कार्य के लिये स्थापना वाले क्षेत्र के किसी अनुसूचित नियोजन में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दर से या स्थापना जिस राज्य में स्थित हो उस राज्य में उस स्थापना में वैसे या उसी प्रकार का कार्य करने के लिये कर्मकारों को दी जाने वाली मजदूरी की दर से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगी :

परन्तु यदि इसके संबंध में या धारा 13 की उप-धारा (1) के उप-खंड (ख) के अधीन प्रवासी कर्मकार को मजदूरी दर के लागू किये जाने के संबंध में कोई विवाद हो, तो उसका निर्णय श्रमायुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

26। मजदूरी की अवधि।—ठेकेदार मजदूरी की अवधि निर्धारित करेगा जिसके संबंध में मजदूरी भुगतीय होगी।

27। किसी भी मजदूरी की अवधि एक मास से अधिक की नहीं होगी।

28। मजदूरी के भुगतान का समय।— जहां किसी ठेकेदार की किसी स्थापना में एक हजार से कम कर्मकार नियोजित हो, वहां प्रत्येक प्रवासी कर्मकार की मजदूरी का भुगतानि मजदूरी की अवधि, जिसके संबंध में मजदूरी भुगतेय है के अंतिम दिन के बाद सातवें दिन की समाप्ति के पूर्व और अन्य मामलों में दसवें दिन की समाप्ति के पूर्व कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि कोई प्रवासी कर्मकार इस नियम के अधीन अनुमान्य अंतिम दिन तक अनुपस्थित रहे, तो उसे मजदूरी का भुगतान उस दिन से तीन कार्य-दिवस की समाप्ति के पूर्व कर दिया जाएगा जिस दिन वह पुनः काम पर हाजिर हो या भुगतान की मांग करे।

29। सेवा समाप्ति पर भुगतान।—ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से जहां किसी प्रवासी कर्मकार की सेवा समाप्त कर दी जाए, वहां ऐसे प्रवासी कर्मकार द्वारा अर्जित मजदूरी उसे सेवा समाप्ति के दिन से दूसरे कार्य-दिवस की समाप्ति से पूर्व ही भुगतान कर दी जाएगी।

30। भुगतान की रीति।—ठेकेदार द्वारा मजदूरी के सभी भुगतान कार्य दिन को, कार्य अहाते में, कार्यकाल के दौरान और पहले ही अधिसूचित की गई तिथि को किये जाएंगे और यदि मजदूरी की अवधि की समाप्ति के पहले ही कार्य पूरा हो गया रहे तो अंतिम कार्य-दिन के 48 घंटे के भीतर अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा।

31। प्रत्येक प्रवासी कर्मकार को भुगतेय मजदूरी या तो सीधे उसे ही या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों को भुगतान की जाएगी।

32। सभी मजदूरी चालू सिक्कों अथवा करेंसी नोटों में या दोनों में भुगतान की जाएगी। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के अधीन कटौती करने के निमित्त या राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट या

अनुज्ञेय कटौतियों को छोड़, बिना किसी प्रकार की कटौती के मजदूरी का भुगतान कर दिया जायेगा।

33। कार्य स्थान में एक सूचना जिसमें मजदूरी की अवधि उसके भुगतान का स्थान और समय दिखलाया रहेगा, प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति पावती सहित प्रधान नियोजक को ठेकेदार द्वारा भेजी जाएगी।

34। प्रधान नियोजक यह सुनिश्चित करेगा कि उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ठीकेदार द्वारा प्रवासी कर्मकारों को मजदूरी भुगतान किये जाने के समय और स्थान पर उपस्थित रहे, और ठेकेदार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष ही मजदूरी का भुगता न हो।

35। प्रधान नियोजक का प्राधिकृत प्रतिनिधि, यथास्थिति मजदूरी पंजी अथवा मजदूरी-सह-मस्टर रौल में की गयी सभी प्रविष्टियों के अन्त में अपने हस्ताक्षर से निम्नलिखित रूप में एक प्रमाण-पत्र अभिलिखित करेगा :—

"प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ संख्या.......में दिखलायी गई राशि का भुगतान प्रवासी कर्मकारों को मेरी उपस्थिति में तिथि. ...को किया गया है।"

अध्याय 5।

प्रवासी कर्मकार को दी जाने वाली चिकित्सीय एवं अन्य सुविधाएं।

36। अवकाश के दिन काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तें—(1) प्रवासी कर्मकारों के अवकाश के दिन किये गये अधिकाल कार्य के लिये अतिरिक्त मजदूरी के सहित काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तों उनसे कम अनुकूल नहीं होगी, जो यथा स्थिति उस स्थापना में या उस क्षेत्र में जिसमें स्थापना स्थित है, उसी प्रकार के नियोजनों में प्रचलित है।

(2) जहां इस संबंध में अथवा धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रवासी कर्मकारों को अवकाश के दिन किये गये अधिकाल कार्य के लिये अतिरिक्त मजदूरी के सहित काम के घंटे और अन्य सेवा शर्तों के लागू होने के संबंध में कोई विवाद हो, वहां उसका निर्णय श्रमायुक्त, बिहार द्वारा किया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

37। चिकित्सीय सुविधाएं।—(1) ठेकेदार स्थापना में नियोजन के दौरान किसी प्रवासी कर्मकार या उसके परिवार के किसी सदस्य के किसी रोग के उपचार के लिये निःशुल्क बहिर्वासी उपचार की उपयुक्त और पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था अथवा महामारी या कोई विषाणु सक्रमण के विरुद्ध कोई निवारक उपाय

सुनिश्चित करेगा। जब कभी प्रवासी कर्मकार द्वारा किसी औषधि का क्रय यथास्थिति, ठेकेदार द्वारा या प्रधान नियोजक द्वारा व्यवस्थित किसी चिकित्सक या ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक या विशेषज्ञ या ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा या विशेषज्ञ के द्वारा जारी किये गये नुस्खे के आधार पर किया जाये, तब ऐसी औषधि की कीमत की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा संबन्धित प्रवासी कर्मकार द्वारा बिल उपस्थित किये जाने की तारीख से सात दिन के भीतर की जाएगी :

परन्तु जब ठेकेदार/प्रधान नियोजक द्वारा कोई चिकित्सक निश्चित नहीं किया गया हो, तब यथास्थिति ठेकेदार या प्रधान नियोजक केवल किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के ही नुसखे के आधार पर क्रय की गई औषधि की कीमत की प्रतिपूर्ति करने का भागी होगा।

(2) स्थापना में नियोजन के दौरान किसी प्रवासी कर्मकार या उसके परिवार के सदस्यों में से किसी के ऐसे रोग से रुग्न होने की दशा में जिसमें चिकित्सा के लिये अस्पताल में भर्ती करना अपेक्षित है, ठेकेदार प्रवासी कर्मकार या उसके परिवार के संवद्ध सदस्य को अस्पताल में भर्ती कराने की तुरन्त व्यवस्था करेगा। ठेकेदार रोगी के उपचार अस्पताल व्यय (जिसमें आहार भी सम्मिलित है), यदि कोई हो, और उसके आवास के स्थान से अस्पताल तक और वापसी यात्रा के खर्च को वहन करेगा।

(3) प्रत्येक ठेकेदार 150 कर्मकार या उसके भाग के निमित्त कम-से-कम एक पेटी की दर से पूरे कार्यकाल के दौरान तुरन्त सुलभ प्राथमिक उपचार पेटियां की व्यवस्था करेगा और यह व्यवस्था सदैव बनाए रखेगा।

(4) प्राथमिक उपचार पेटी पर उजली पृष्ठभूमि में लाल क्रास (रेड क्रास) स्पष्ट चिन्हित रहेगा और उसमें निम्नलिखित साज-सामान रहेंगे :—

(क) उन स्थापनाओं के लिये जिनमें नियोजित प्रवासी कर्मकारों की संख्या पचास से अधिक न हो प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित साज-सामान रहेंगे :—

(1) छह छोटी कीटाणुनाशित पट्टियां,
(2) तीन मझौली कीटाणुनाशित पट्टियां,
(3) तीन बड़ी कीटाणुनाशित पट्टियां,
(4) तीन बड़ी कीटाणुनाशित दाह-पट्टियां,
(5) एक बोतल (30 मि० ली० का) जिसमें आयोडिन की दो प्रतिशत अल्कोहलिक घोल हो,

(6) एक बोतल (30 मि० ली० का) जिसमें सेलवोलेटाइल होगा तथा जिसके लेबुल पर मात्रा और प्रयोग विधि लिखी रहेगी,
(7) एक सर्पदंश-छुरिका,
(8) एक बोतल (30 ग्राम का) जिसमें पोटाशियम परमेंगनेट क्रिस्टल्स रहेगा,
(9) एक जोड़ी कैंची;
(10) कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान, भारत सरकार के महानिदेशक की ओर से जारी की गयी प्राथमिक उपचार पुस्तिका की एक प्रति,
(11) एक बोतल जिसमें एस्प्रीन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) होगी,
(12) जले स्थानों पर लगाने के लिये मरहम, और
(13) एक बोतल जिसमें उपयुक्त शल्य-चिकित्सीय कर्मों में व्यवहार की जाने वाली कीटनाशक घोल हो।

(ख) उन स्थापनाओं के जिनमें प्रवासी कर्मकारों की संख्या पचास से अधिक हों, प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित साज-सामान रहेंगे :—

(1) बारह छोटी कीटाणुनाशित पट्टियां,
(2) छह मझोली कीटाणुनाशित पट्टियां,
(3) छह बड़ी कीटाणुनाशित पट्टियां,
(4) छह बड़ी कीटाणुनाशित दाह-पट्टियां,
(5) छह पैकेट (प्रत्येक 15 ग्राम का) कीटाणुनाशित रुई,
(6) एक बोतल (80 मि० ली० का) जिसमें आयोडिन की दो प्रतिशत अल्कोहलिक घोल हो,
(7) एक बोतल (60 मि० ली० का) जिसमें सेलवीलेटाइल होगा तथा जिसके लेबुल पर मात्रा और प्रयोग विधि लिखी रहेगी,
(8) चिपकाउ पलस्तर की एक गोलगड्डी,
(9) एक सर्पदंश-छुरिका,
(10) एक बोतल (30 ग्राम का) जिसमें पोटाशियम परमेंगनेट क्रिस्टल रहेगा,
(11) एक जोडी कैंची,
(12) कारखाना परामर्श सेवा और श्रम संस्थान भारत सरकार के महानिदेशक की ओर से जारी की गयी प्राथमिक उपचार पुस्तिका की एक प्रति,
(13) एक बोतल जिसमें एस्प्रीन की 100 गोलियां (प्रत्येक 5 ग्रेन की) होगी,
(14) जले स्थानों पर लगाने के लिये मरहम, और
(15) एक बोतल जिसमें उपयुक्त शल्य-चिकित्सीय कर्मों में व्यवहार की जाने वाली कीटानाशक घोल हो।

(5) जब आवश्यक हो तो सामानों की तत्काल क्षतिपूर्ति के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

(6) उप-नियम (4) में वर्णित अन्तर्वस्तुओं के सिवाय और कुछ भी प्राथमिक उपचार पेटी में नहीं रखा जायगा।

(7) प्राथमिक उपचार पेटी एक जिम्मेदार व्यक्ति के प्रभार में रहेगी, जो स्थापना के कार्यकाल में सदैव तुरन्त सुलभ होगा।

(8) उन स्थापनाओं में जहां प्रवासी कर्मकारों की संख्या एक सौ पचास या उससे अधिक है, प्राथमिक उपचार पेटी का प्रभारी व्यक्ति प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति होगा।

38। संरक्षात्मक कपड़े।--(1) जहां तापमान 20 डिग्री सेंटिग्रेड से नीचे गिर जाता है वहां ठेकेदार प्रत्येक प्रवासी कर्मकार को संरक्षात्मक कपड़े देने की व्यवस्था करेगा जिसमें एक उनी कोट और एक ऊनी पतलून होगी जो दो वर्ष में एक बार दिये जायेंगे :

परन्तु जहां तापमान 5 डिग्री सेंटिग्रेड से नीचे गिर जाता है वहां प्रवासी कर्मकार को तीन वर्ष में एकबार एक ऊनी ओवर कोट भी देने की व्यवस्था की जाएगी।

(2) उस क्षेत्र में जहां स्थापना स्थित है, जाड़े के मौसम के प्रारंभ होने के पूर्व या सितम्बर के तीसवें दिन, इनमें से जो भी पहले हो, ठेकेदार द्वारा सुरक्षात्मक कपड़े प्रत्येक प्रवासी कर्मकार को दिये जाने की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ठेकेदार प्रवासी कर्मकारों को दस्ताने, जूते और वैसे अन्य सुरक्षात्मक सामानों के देने की व्यवस्था करेगा जैसा सादृश्य काम में नियोजित अन्य कर्मकारों को दिये जाते हैं।

39। पेयजल, शौचालय, मूत्रालय और धावन सुविधायें।--(1) ठेकेदार प्रवासी कर्मकारों के लिये स्थापना में पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यप्रद पेयजल की आपूर्ति, पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालयों और मूत्रालयों, धावन सुविधाओं, इत्यादि, की व्यवस्था विद्यमान स्थापनाओं की दशा में, इन नियमों के प्रवर्तन के प्रारंभ से सात दिन के भीतर, और नयी स्थापनाओं की दशा में, उनमें प्रवासी कर्मकारों की बहाली के प्रारंभ से सात दिन के भीतर करेगा :

परन्तु क्या पर्याप्त है और क्या स्वास्थ्यप्रद है, इस संबंध में लाइसेंस अधिकारी की राय अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(2) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा किसी सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती है तो उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के सात दिन के भीतर उसकी प्रधान नियोजक द्वारा व्यवस्था की जाएगी।

40। विश्राम कक्ष।--(1) ऐसे प्रत्येक स्थान में, जहां स्थापना के कार्य के सिलसिले में प्रवासी कर्मकारों से रात में ठहरने की अपेक्षा की जाती है और जिसमें प्रवासी कर्मकारों के नियोजन की तीन मास या उससे अधिक अवधि के लिये बने रहने की सम्भावना है, ठेकेदार विश्राम कक्षों की अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास की व्यवस्था, विद्यमान स्थापनाओं की दशा में, इन नियमों के प्रवर्तन के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर और नयी स्थापनाओं की दशा में प्रवासी कर्मकारों की बहाली के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर, करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा।

(2) यदि ठेकेदार द्वारा सुख-सुविधा की व्यवस्था विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं की जाती है, तो प्रधान नियोजक उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर उसकी व्यवस्था करेगा।

(3) महिला प्रवासी कर्मकारों के लिये अलग कक्षों की व्यवस्था की जाएगी।

(4) प्रत्येक कक्ष में ताजा हवा का आना-जाना और पर्याप्त संवातन सुलभ करने और बनाए रखने के निमित्त प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी और उसमें पर्याप्त और उपयुक्त प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की जायगी और उसे बनाए रखा जाएगा।

(5) विश्राम कक्ष अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास ऐसे आकार का होगा कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम 1-1 वर्गमीटर जगह सुलभ हो।

(6) विश्राम कक्ष अथवा अन्य उपयुक्त वैकल्पिक आवास का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि उसका ताप, आंधी, वर्षा से पर्याप्त बचाव हो सके और उसकी फर्श की सतह समतल, सख्त और अभेद्य रहे।

(7) विश्राम-कक्ष अथवा अन्य उपयुक्त आवास स्थापना से सुगम दूरी पर होगा और उसमें पर्याप्त स्वास्थ्यप्रद पेयजल की आपूर्ति रहेगी।

41। भोजशालाएं (कैंटीन)।--(1) प्रत्येक स्थापना में, जिसमें प्रवासी कर्मकारों के नियोजन संबंधी काम निरन्तर छह महीनों तक बने रहने की संभावना है और जिसमें समान्यतः एक सौ या उससे अधिक संख्या में, प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं, विद्यमान स्थापनाओं की दशा में इन नियमों के प्रवर्तन की तिथि से साठ दिन के भीतर, और नयी स्थापनाओं की दशा में, प्रवासी कर्मकारों की बहाली के प्रारंभ से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्रवासी कर्मकारों के उपयोग के लिये ठेकेदार एक समुचित भोजशाला (कैंटीन) की व्यवस्था करेगा।

(2) यदि निर्धारित समय के भीतर भोजशाला की व्यवस्था करने में ठेकेदार विफल हो तो प्रधान नियोजक ठेकेदार को दिये गये समय की समाप्ति के साठ दिन के भीतर समुचित भोजशाला की व्यवस्था करेगा।

(3) भोजशाला का अनुरक्षण, यथास्थिति, ठेकेदार या प्रधान नियोजक ठीक ढंग से करेगा।

(4) भोजशाला में कम-से-कम एक भोजन-कक्ष, पाकशाला, भंडार घर, रसोई भंडार (पैन्ट्री) और प्रवासी कर्मकारों के हाथ-मुंह तथा वर्त्तनों के धोने के अलग-अलग स्थान रहेंगे।

(5) (क) भोजशाला में ऐसे सभी समयों पर, जब कोई व्यक्ति वहां आ सकता हो, पर्याप्त रोशनी रखी जाएगी।

(ख) इसका फर्श चिकनी और अभेद्य सामग्री से बना रहेगा और भीतर की दीवारों पर कम-से-कम वर्ष में एक बार चूना-पुताई या रंग-पुताई की जाएगी :

परन्तु, पाकशाला की भीतरी दीवारों पर चूना-पुताई प्रत्येक चार महीने पर की जाएगी।

(ग) (*i*) भोजशाला का परिवेश (अहाता) साफ-सुथरा रखा जाएगा।

(*ii*) रद्दी पानी को जमा न होने देकर उपयुक्त रूप से ढंकी नालियों द्वारा बहा दिया जाएगा ताकि जमा होकर गन्दगी (न्यूसेंस) का कारण न बनने पावे।

(*iii*) कूड़ा जमा करने और उसे ठिकाने लगवाने का समुचित प्रबंध किया जाएगा।

(7) भोजन-कक्ष इतना बड़ा होगा कि एक बार काम करनेवाले प्रवासी कर्मकारों में से कम-से-कम तीस प्रतिशत कर्मकार एक साथ बैठ सकें।

(8) सर्विस काउन्टर और कुर्सी, मेजों के अलावा अन्य किसी फर्निचर के घिरे स्थान को छोड़ भोजन-कक्ष की फर्श इतनी बड़ी होगी कि उसमें उप-नियम (7) में यथाविनिर्दिष्ट संख्या में भोजन करनेवालों के लिए प्रति व्यक्ति कम-से-कम एक वर्ग मीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(9) (*i*) भोजन-कक्ष और सर्विस काउन्टर का एक हिस्सा महिला प्रवासी कर्मकारों की संख्या के अनुपात में बांट कर अलग कर दिया जाएगा और वह उनके लिए सुरक्षित रहेगा।

(*ii*) महिलाओं के लिए धावन स्थान अलग होंगे और उनकी एकान्तता की सुरक्षा के लिए वहां पर्दा लगा रहेगा।

(10) उप-नियम (7) में यथा विनिर्दिष्ट भोजन करनेवालों के लिए पर्याप्त संख्या में मेजें, तिपाइयां, कुर्सियां या बेंचें उपलब्ध रहेंगी।

(11) (*i*) भोजशाला को कुशलतापूर्वक चलाने के हेतु पर्याप्त मात्रा में वर्त्तनों, चीनी के वर्त्तन (क्रौकरी), छुरी-कांटे (कटलरी), फर्निचर और अन्य आवश्यक साज-सामान की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा।

(*ii*) फर्निचर, वर्त्तन और अन्य साज-सामान साफ और स्वास्थ्यकर अवस्था में रखे जायेंगे।

(12) (*i*) भोजशाला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उपयुक्त साफ पोशाक की भी व्यवस्था की जाएगी और उसे अनुरक्षित रखा जाएगा।

(*ii*) यदि किसी सर्विस काउन्टर की व्यवस्था हो, तो उसका ऊपरी भाग चिकनी और अभेद्य सामग्री से बना होगा।

(*i*) वर्त्तनों और साज-सामान की सफाई के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था रहेगी जिसमें गर्म पानी की पर्याप्त आपूर्त्ति भी शामिल है।

(13) भोजशाला में दी जानेवाली खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं प्रवासी कर्मकारों की सामान्य आदतों के अनुरूप होंगी।

(14) भोजशाला में जानेवाले भोजनों, अन्य खाद्य-पदार्थों, मादक पेयों और किन्हीं अन्य वस्तुओं की कीमतें लाभ-हानि रहित आधार पर होंगी, जो भोजशाला में सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जायेंगी।

([illegible])जशाला में दिए जानेवाले खाद्य-पदार्थ और अन्य वस्तुओं की कीमतें लगाने में निम्नलिखित मदों को व्यय के रूप में विचारार्थ नहीं रखा जाएगा :—

(क) जमीन और मकान का किराया ;

(ख) भोजशाला के लिए उपबंधित भवन और साज-सामानों के अवक्षयण और रख-रखाव पर होनेवाले व्यय ;

(ग) फर्निचर, चीनी के वर्त्तन (क्राकरी), छुरी-कांटे (कटलरी) और वर्त्तन सहित साज-सामानों के क्रय, मरम्मत और बदलाव की लागत ;

(घ) रोशनी की व्यवस्था और संचालन तथा पानी के प्रबंध पर होनेवाला व्यय ;

(ङ) भोजशाला में व्यवस्थित फर्निचर और साज-सामानों की व्यवस्था और रख-रखाव करने में व्यय की गयी राशियों पर ब्याज।

(16) भोजशाला के संचालन के संबंध में व्यवहृत लेखा-बहियां, पंजियां और अन्य दस्तावेजें मांगी जाने पर निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।

(17) भोजशाला से संबंधित लेखाओं की प्रत्येक बारह महीनों में कम-से-कम एक बार रजिस्ट्रीकृत लेखापालों या अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण किया जाएगा :

परन्तु यह कि श्रमायुक्त, विहार लेखाओं के अंकेक्षण के लिए किसी अन्य व्यक्ति का भी अनुमोदन कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाए कि भोजशाला के स्थल या अवस्थान को दृष्टि में रखते हुए किसी रजिस्ट्रीकृत लेखापाल और अंकेक्षक का नियुक्त किया जाना संभव नहीं होगा।

42। शौचालय और मूत्रालय—(1) प्रत्येक स्थापना में निम्नलिखित मान के अनुसार शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी :—

(क) जहां महिलाएं नियोजित हों, वहां प्रत्येक पचीस महिलाओं के निमित्त कम-से-कम एक शौचालय होगा;

(ख) जहां पुरुष नियोजित हों, वहां प्रत्येक पचीस पुरुषों के निमित्त कम-से-कम एक शौचालय होगा :

परन्तु जहां पुरुषों या महिलाओं की संख्या एक सौ से अधिक हो, वहां प्रथम एक सौ तक, पचीस पुरुषों या महिलाओं के निमित्त, यथास्थिति, एक शौचालय पर्याप्त होगा और प्रथम एक सौ के पश्चात् प्रत्येक पचास के निमित्त एक शौचालय की व्यवस्था होगी।

(2) प्रत्येक शौचालय आच्छादित और इस तरह विभाजित होगा कि उसमें एकान्तता सुनिश्चित हो, और उसमें समुचित द्वार और बन्द करने के साधन उपलब्ध होंगे।

(3) (*i*) जहां पुरुष और महिला कर्मकार दोनों ही नियोजित हों वहां शौचालयों और मूत्रालयों के प्रत्येक खंड के बाहर, अधिकांश कर्मकारों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, एक नोटिस प्रदर्शित रहेगी जिसमें, यथास्थिति, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" लिखा रहेगा।

(*ii*) उक्त नोटिस पर यथास्थिति, पुरुष या महिला की एक आकृति बनाई रहेगी।

(4) एक साथ और एक समय काम करने वाले पचास पुरुषों के लिए कम-से-कम एक और पचास महिलाओं के लिए एक मूत्रालय की व्यवस्था रहेगी :

परन्तु जहां काम करनेवाले यथास्थिति पुरुषों या महिलाओं की संख्या पांच सौ से अधिक हो, वहां प्रथम पांच सौ तक, प्रत्येक पचास पुरुष या महिलाओं के निमित्त एक मूत्रालय, और तत्पश्चात प्रत्येक एक सौ और उनके अंश के निमित्त एक मूत्रालय की हो व्यवस्था पर्याप्त होगी।

(5) शौचालय और मूत्रालय सुगम स्थान पर स्थित होंगे और स्थापना के कर्मकारों की उन तक हर समय पहुंच होगी।

(6) (क) शौचालयों और मूत्रालयों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रहेगी और वे सदैव स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद दशा में रखे जाएंगे।

(ख) जल प्रवाही मल प्रणाली से संयुक्त शौचालयों और मूत्रालयों से भिन्न शौचालय और मूत्रालय लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप रखे जाएंगे।

(7) जल-नल की या जल के अन्य साधनों की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि जल शौचालय और मूत्रालयों में या उसके निकट सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके।

43। धावन सुविधाएं—(1) प्रत्येक स्थापना में वहां नियोजित प्रवासी कर्मकारों के उपयोग के लिए धावन की पर्याप्त और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें अनुरक्षित रखा जाएगा।

(2) पुरुष और महिला प्रवासी कर्मकारों के उपयोग के लिए अलग-अलग और समुचित पर्दों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) ऐसी सुविधाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध रहेंगी और सदैव स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद स्थिति में रखी जाएंगी।

44। शिशु कक्ष—(1) प्रत्येक स्थापना में जहां साधारणतया बीस या उससे अधिक महिला कर्मकार प्रवासी के रूप में नियोजित हों और जिसमें प्रवासी कर्मकारों का नियोजन तीन मास या उससे अधिक समय तक चालू रहने की संभावना हो, ठेकेदार, विद्यमान स्थापनाओं की दशा में, नियमों के प्रवर्तन की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर, और, नयी स्थापनाओं की दशा में, कम-से-कम बीस महिलाओं के प्रवासी कर्मकारों के रूप में नियोजन के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर, उनके छः वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के उपयोग के लिए यथोचित आकार के दो कक्षों की व्यवस्था करेगा और उनका अनुरक्षण करेगा।

(2) ऐसे कक्षों में से एक बच्चों के लिए क्रीड़ा-कक्ष के रूप में और दूसरा बच्चों के लिए शयन-कक्ष के रूप में उपयोग किया जाएगा।

(3) यदि निर्धारित समय के भीतर शिशु कक्ष की व्यवस्था करने में ठेकेदार विफल हो जाए, तो प्रधान नियोजक उसकी व्यवस्था ठेकेदार को दिए गए समय की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर करेगा ।

(4) यथास्थिति ठेकेदार या प्रधान नियोजक क्रीड़ा-कक्षों में पर्याप्त संख्या में खिलौनों और खेलों, तथा शयन-कक्षों में पर्याप्त संख्या में चारपाइयों और बिस्तरों की व्यवस्था करेगा ।

(5) शिशु-कक्ष का निर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वह ताप, नमी, आंधी, वर्षा से पर्याप्त संरक्षण दे सके और उसकी फर्श की सतह समतल, सख्त और अभेद्य रहे ।

(6) शिशु-कक्ष स्थापना से सुगम दूरी पर होगा और उसमें पर्याप्त स्वास्थ्यप्रद पेयजल की आपूर्ति रहेगी ।

(7) शिशु-कक्षों के प्रत्येक कक्ष में ताती हवा के परिचालन द्वारा पर्याप्त संवातन सुलभ होने और बनाए रखने के निमित्त प्रभावी और उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी तथा उसमें पर्याप्त और उपयुक्त प्रकृति और कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी और उसे अनुरक्षित किया जाएगा ।

45। आवास की व्यवस्था—(1) ठेकेदार प्रत्येक प्रवासी कर्मकार के लिए निम्नलिखित व्यवस्था करेगा:—

(1) उस दशा में जब उसके साथ उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य हो, एक कमरे का एक उपयुक्त क्वार्टर जिसमें कम-से-कम दस वर्ग मीटर जगह, एक बरामदा और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त आच्छादित अतिरिक्त स्थान के साथ ही ऐसे प्रत्येक तीन क्वार्टर पीछे एक सामान्य स्वच्छ शौचालय और एक सामान्य स्नानागार होगा ;

(2) उस दशा में जब उसके साथ उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य न न हो, अधिक से अधिक वैसे दस प्रवासी कर्मकारों के रहने के लिए एक उपयुक्त बैरेक जिसमें उसका उपयोग करने वाले वैसे प्रत्येक प्रवासी कर्मकार के लिए 6.5 वर्गमीटर जगह, एक बरामदा और भोजन बनाने के लिए पर्याप्त आच्छादित अतिरिक्त स्थान के साथ ही वैसे प्रत्येक दस प्रवासी कर्मकार के पीछे एक सामान्य स्वच्छ शौचालय और एक सामान्य स्नानागार होगा ।

इनकी व्यवस्था, विद्यमान स्थापनाओं की दशा में, नियमों के प्रवर्त्तन की तिथि से पन्द्रह दिन के भीतर और नयी स्थापनाओं की दशा में, प्रवासी कर्मकारों के नियोजन के प्रारंभ से पन्द्रह दिन के भीतर की जाएगी ।

(2) प्रत्येक क्वार्टर और बैरेक का इस प्रकार निर्माण किया जाएगा कि उसमें पर्याप्त संवातन हो, ताप, आंधी, वर्षा से संरक्षण हो, और उसकी फर्श की सतह समतल, सख्त और अभेद्य रहे ।

(3) यथास्थिति, क्वार्टर या बैरेक स्थापना से सुगम दूरी पर होंगे और उसमें पर्याप्त स्वास्थ्यप्रद पेयजल की आपूर्त्ति रहेगी :

परन्तु, यदि वास-स्थान कार्य-स्थल से दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर हो, तो उपयुक्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, या उसके बदले कर्मकारों को परिवहन व्यय की पूर्त्ति के लिए सवारी-भत्ता का भुगतान किया जाएगा ।

(4) वह क्षेत्र, जिसमें क्वार्टर और/या बैरेक स्थित हैं, और उसमें व्यवस्थित शौचालय और स्नानागार सभी समय साफ और स्वच्छ स्थिति में रखे जाएंगे ।

(5) यदि ठेकेदार द्वारा उप-नियम (i) में विनिर्दिष्ट सुख-सुविधाओं की व्यवस्था विहित अवधि के भीतर नहीं की जाती हैं, तो प्रधान नियोजक उनकी व्यवस्था उप-नियम में विनिहित अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर करेगा ।

(6) यदि उप-नियम (i) के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट सुख-सुविधाओं में से किसी की भी व्यवस्था की उपयुक्तता या पर्याप्तता के विषय में कोई विवाद या मतभेद हो, तो उसका निर्णय श्रमायुक्त, विहार करेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

46। कुछ दशाओं में प्रधान नियोजक का दायित्व—यदि किसी स्थापना में, जिसमें यह अधिनियम लागू होता है, नियोजित किसी प्रवासी कर्मकार को ठेकेदार द्वारा धारा 14 या धारा 15 के अधीन यथापेक्षित किसी भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है या यदि ऐसे कर्मकार के हित के लिए धारा 16 में विनिर्दिष्ट किसी सुविधा की व्यवस्था नहीं की जाती हैं, तो प्रधान नियोजक द्वारा, यथास्थिति, ऐसे भत्ते का भुगतान या सुविधा की व्यवस्था, जहां सुसंगत नियमों में कोई दूसरा उपबंध हो वहां छोड़ कर, ठेकेदार को इन नियमों के अधीन दिए गए समय की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर की जाएगी:

परन्तु, ऐसे रोग की दशा में जिसमें, यथास्थिति, अविलम्ब चिकित्सीय व्यवस्था करना या चिकित्सा के लिए अस्पताल में भर्त्ती कराना अपेक्षित हो, ठेकेदार के ऐसा करने में चूकने पर प्रधान नियोजक उसकी तुरन्त व्यवस्था करेगा ।

47। कुछ दशाओं में शिथिलीकरण—यदि, यथास्थिति, ठेकेदार या प्रधान नियोजक ने, स्थापना पर लागू किसी अधिनियम के अधीन, यथापेक्षित प्रचुर पेय-जल या विश्राम कक्षों या शौचालयों और मूत्रालयों या धावन, भोजशाला या शिशु-कक्ष या प्राथमिक उपचार से संबंधित किसी सुविधा की पहले ही व्यवस्था की हो और वह पर्याप्त में हो तथा प्रवासी कर्मकारों के उपयोग के लिए भी उपलब्ध हो, तो उस सुविधा के बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी व्यवस्था इन नियमों के अधीन की गयी है।

अध्याय 6।

पंजी और अभिलेख आंकड़ों का संग्रहण।

48। ठेकेदारों की पंजी—प्रत्येक प्रधान नियोजक हरेक रजिस्ट्रीकृत स्थापना के निमित्त फारम 12 में ठेकेदारों की एक पंजी रखेगा।

49। नियोजित व्यक्तियों की पंजी—प्रत्येक प्रधान नियोजक और ठेकेदार ऐसी हरेक स्थापना के लिए, जिसमें वह प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करता है, फारम 13 में एक पंजी रखेगा।

50। सेवा प्रमाण-पत्र—किसी भी कारण से नियोजन की समाप्ति पर ठेकेदार ऐसे प्रवासी कर्मकार को, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं, फारम 14 में एक सेवा प्रमाण-पत्र देगा।

51। (1) प्रत्येक ठेकेदार धारा 14 और धारा 15 के अधीन यथापेक्षित प्रवासी कर्मकारों को भुगतान किए गए विस्थापन-सह-बहिर्मुखी यात्रा भत्ता की फारम 15 में एक पंजी और उन्हें नियम 22 के अधीन भुगतान किए गए वापसी यात्रा भत्ता की भी फारम 16 में एक पंजी रखेगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट पंजियों में प्रविष्टियां ठेकेदार या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिप्रमाणित की जायंगी।

52। मस्टर रौल, मजदूरी पंजी, कटौती पंजी और अधिकाल पंजी—(1) ऐसी स्थापना के लिए जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली या ठेका मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा शासित हैं, उन अधिनियमों और

उनके अधीन बनायी गयी नियमावलियों के अधीन नियोजक के रूप में ठेकेदार द्वारा रखी जाने वाली निम्नलिखित पंजियों और अभिलेख इस नियमावली के भी अधीन ठेकेदार द्वारा रखी जाने वाली पंजियों और अभिलेख समझे जायेंगे:—

(क) मस्टर रौल,
(ख) मजदूरी पंजी,
(ग) कटौती पंजी,
(घ) जुर्माना पंजी,
(ङ) अधिकाल पंजी,
(च) अग्रिम पंजी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिनियमों या नियमावलियों में से किसी भी अधिनियम या नियमावली के अन्तर्गत न आने वाली स्थापनाओं के विषय में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) प्रत्येक ठेकेदार फारम 17 और फारम 18 में क्रमशः एक मस्टर रौल पंजी और एक मजदूरी पंजी रखेगा।

(ख) मजदूरी पंजी पर प्रत्येक प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान ले लिया जाएगा और उसमें की गयी प्रविष्टियां ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों द्वारा अधि-प्रमाणित की जायगी, और नियम 35 द्वारा यथा अपेक्षित प्रधान नियोजक के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित की जाएगी।

(ग) कटौती पंजी, जुर्माना पंजी और अग्रिम पंजी—प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नुकसान या हानि के लिये कटौती पंजी, जुर्माना पंजी और अग्रिम पंजी क्रमशः फारम 19, फारम 20 और फारम 21 में रखी जायगी।

(घ) प्रत्येक ठेकेदार फारम 22 में अधिकाल पंजी रखेगा।

(3) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जहां ठेकेदार किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों अथवा किसी अन्य विधियों या विनियमों के उपबन्धों के अनुपालनार्थ दुहरे कार्य से बचने के लिए कोई संयुक्त या वैकल्पिक फारम का उपयोग करना चाहता हो, अथवा उन दशाओं में जहां श्रेष्टतर प्रशासन के निमित्त यंत्रीकृत वेतन चिट्ठों की प्रणाली चालू की गयी हो, वहां इन नियमों के अधीन विहित किसी भी फारम के बदले उपयुक्त वैकल्पिक फारम या फारमों का उपयोग, श्रमायुक्त, बिहार के पूर्वानुमोदन से किया जा सकेगा।

53. पंजियों का रखा जाना और उनका परीक्षण--(1) इस अधिनियम और नियमावली के अधीन रखी जानेवाली सभी पंजियों और अभिलेख पूर्ण और अद्यतन रखे जायेंगे और जबतक अन्यथा कोई उपबन्ध न हो, कार्यालय में या कार्य-स्थल की प्रसीमाओं के अन्तर्गत सुविधाजनक और निकटतम भवन में या किसी ऐसे स्थान में, जो ठेकेदार द्वारा इस निमित्त विशेष प्रार्थना किए जाने पर निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, रखे जायेंगे ।

(2) सभी पंजियां सुपाठ्य रूप से अंग्रेजी या हिन्दी में रखी जायेंगी ।

(3) सभी पंजियां और अन्य अभिलेख उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तिथि से तीन पंचांग वर्षों की अवधि तक मूल रूप में परिरक्षित रखे जायेंगे ।

(4) अधिनियम या नियमावली के अधीन रखी गयी सभी पंजियां, अभिलेख और सूचनाएं मांग की जाने पर निरीक्षक या श्रमायुक्त, बिहार या प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत की जायगी ।

(5) जहां कोई कटौती या जर्माना अधिरोपित नहीं किया गया हो अथवा किसी मजदूरी अवधि में कोई अधिकाल कार्य नहीं हुआ हो, वहां फारम 19, 20 और 21 में क्रमशः रखी गयी सम्बद्ध पंजी के आर-पार प्रत्येक मजदूरी अवधि के अन्त में, निश्चित शब्दों में, यह उल्लेख करते हुए कि यह शून्य प्रविष्टि किस मजदूरी अवधि से सम्बन्धित है, एक "शून्य" प्रविष्टि कर दी जाएगी ।

54. अधिनियम और नियमों का उद्धरण प्रदर्शित किया जाना ।—प्रत्येक ठेकेदार अधिनियम और नियमों का उद्धरण श्रमायुक्त, बिहार द्वारा यथा अनुमोदित रूप में अंग्रेजी और हिन्दी में और ऐसी भाषा में जो अधिकांश प्रवासी कर्मकारों द्वारा बोली जाती है, प्रदर्शित करेगा ।

55. सूचनाएं ।—(1) (i) यथास्थिति, प्रधान नियोजक या ठेकेदार द्वारा स्थापना में सहज दृश्य स्थानों और कार्यस्थल पर अंग्रेजी में और हिन्दी में और अधिकांश मजदूरों द्वारा समझी जानेवाली स्थानीय भाषा में मजदूरी की दर, काम के घंटे, मजदूरी की अवधियां, मजदूरी भुगतान की तिथियां, अधिकारिता रखनेवाले निरीक्षकों के नाम और पते तथा चुकाई गयी मजदूरी के भुगतान की तिथि संबंधी सूचनाएं प्रदर्शित करेगा ।

(ii) सूचनाएं सही रूप में सुस्पष्ट और सुपाठ्य दशा में रखी जायेंगी ।

(2) सूचना की एक प्रति निरीक्षक को भेजी जाएगी और जब कभी कोई परिवर्तन हो, तब उसकी सूचना तुरत उसको दी जाएगी ।

56. आवधिक विवरणियां ।--(1) प्रत्येक ठेकेदार फारम 23 में (दो प्रतियों में) अर्द्ध-वार्षिक विवरणी भेजेगा जो सम्बद्ध लाइसेंस पदाधिकारी के पास अर्द्ध-वर्ष की समाप्ति के तीस दिनों के भीतर अवश्य ही पहुंच जानी चाहिए ।

टिप्पणी--इस नियम के उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ अर्द्ध-वर्ष से अभिप्रेत है "प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाली छह मास की अवधि"।

(2) रजिस्ट्रीकृत स्थापना का प्रत्येक प्रधान नियोजक प्रतिवर्ष फारम 24 में (दो प्रतियों में) एक विवरणी भेजेगा जो सम्बद्ध रजिस्ट्रीकर्त्ता पदाधिकारी के पास विवरणी वाले वर्ष की समाप्ति के बाद आनेवाली 15 फरवरी से पहले अवश्य ही पहुंच जानी चाहिए ।

57. (1) श्रमायुक्त, बिहार या जिला मजिस्ट्रेट या निरीक्षक या अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को प्रवासी कर्मकारों के बारे में किसी ठेकेदार या प्रधान नियोजक से किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा कोई भी जानकारी या आंकड़े मांगने की शक्तियां होंगी ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई व्यक्ति, जिससे सूचनाएं मांगी जायेंगी, ऐसी सूचनाएं देने को विधितः बाध्य होगा ।

अध्याय 7

प्रवासी कर्मकारों को विधिक सहायता ।

58. विधिक सहायता ।--मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 15 के अधीन प्राधिकारी के समक्ष या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 20 के अधीन प्राधिकारी के समक्ष या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33-ग (2) के अधीन समुचित श्रम न्यायालय के समक्ष या कर्मकर प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन कर्मकार प्रतिकर के आयुक्त के समक्ष किसी कार्यवाही जिसमें प्रवासी कर्मकार या उसका विधिक उत्तराधिकारी एक पक्षकार है, के संबंध में विधि सहायता की व्यवस्था करने हेतु प्रवासी कर्मकार या उसकी मृत्यु होने की दशा में, उसके निकट सम्बन्धी से लिखित आवेदन की प्राप्ति पर, सम्बद्ध विहित

प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाए तो श्रमायुक्त, बिहार के पुर्वानुमोदन से, यथास्थिति प्रवासी कर्मकार या उसके विधिक उत्तराधिकारी की ओर से सुसंगत कार्यवाहियों का संचालन करने के लिये एक अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है और इस संबंध में सभी विधिक व्यय की पूर्ति कर सकता है ।

अध्याय 8

59. निरीक्षकों की शक्तियां ।—निरीक्षक को अधिनियम एवं इस नियमावली के प्रावधानों को कार्यरुप देने के उद्देश्य से निम्नांकित सभी या किसी भी कार्यों को करने की शक्तियां भी होंगी:—

(1) युक्तियुक्त समय पर ऐसे सहायकों सहित, यदि कोई हों, जो सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति हो अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकार की सेवा में हों किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे जिसके बारे में उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि उसे किसी ठेकेदार के द्वारा अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्त्ती, आपूर्त्ति एवं आवागमन के लिये व्यवहृत किया जा रहा हो अथवा अपने अधिकार में रखा गया हो ; तथा

(क) ऐसे परिसरों में ऐसे श्रमिकों की नियुक्ति एव आपूर्त्ति के संबंध में रखे जा रहे किसी भी लेखा, कागजात, किताब, पंजी या अन्य अभिलेखों को जब्त कर सकेंगे अथवा उसकी नकल उतार सकेंगे या उससे उद्धरण ले सकेंगे ;

(ख) अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसके बारे में अपने को संतुष्ट करने के लिये ऐसे परिसरों अथवा स्थान में पाये जानेवाले किसी भी व्यक्ति से पूछ-ताछ कर सकते हैं और उसका बयान अंकित कर सकते हैं ;

(2) किसी भी युक्तियुक्त समय पर ऐसे सहायकों सहित, यदि कोई हो, जो सरकारी सेवा में नियोजित व्यक्ति हों अथवा किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकार की सेवा में हों, किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेंगे जिसके बारे में उन्हें यह विश्वास करने का कारण हो कि उसमें कोई अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक मौजूद हैं, चाहे वह अपने कार्यस्थल पर जाने के मार्ग में हो अथवा रात्रि विश्राम के लिये रुका हुआ हो अथवा दूसरे राज्य

में पहुंचाये जाने के लिये प्रतीक्षारत हो, तथा अपने को इस बात से संतुष्ट करने के लिये कि अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन हो रहा हैं, वहां पाये जाने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछ-ताछ कर सकेंगे और उसका बयान अंकित कर सकेंगे ;

(3) किसी भी परिवहन यान के स्वत्वाधिकारी या चालक को गाड़ी को रोकने और तबतक के लिये रुके रखने का आदेश दे सकेंगे जो कि इस बात की जांच के लिये आवश्यक हो कि उस गाड़ी में किसी अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक को ले जाया जा रहा है, उसमें पाये जाने वाले किसी भी ऐसे श्रमिक से उसकी नियुक्ति एवं गन्तव्य स्थान के बारे में पूछ-ताछ कर सकते हैं और स्थल पर ही अथवा अन्यथा, ठेकेदारों का नाम एवं पता, अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का गन्तव्य स्थान तथा प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जिसमें उनका नियोजन प्रस्तावित है, की जानकारी प्राप्त करने और नियुक्ति के पूर्व अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति का बयान ले सकेंगे जिसे वे आवश्यक समझें ।

(4) निरीक्षक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के पालन के कम में अधिनियम तथा इस नियमावली के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी परिवाद या अन्य कार्यवाही में मुकदमा चला सकेंगे, उसका संचालन कर सकेंगे अथवा बचाव कर सकेंगे ।

(5) जिस राज्य में अधिनियम अथवा इस नियमावली के अन्तर्गत कोई अपराध किया गया हो उसको छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में बसनेवाले किसी भी व्यक्ति से उस राज्य के निरीक्षक के माध्यम से पूछ-ताछ करवा सकेंगे और ऐसी पूछ-ताछ का अभिलेख प्राप्त कर सकेंगे ।

(6) अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों अथवा ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों के प्रभार में पाये गये किसी भी व्यक्ति को अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का नाम एवं पता, ठेकेदार का नाम एवं पता तथा उस प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जिसके लिये श्रमिकों की भर्त्ती की गई हो, अथवा की जानेवाली हो, के बारे में कोई भी ऐसी सूचना देने, जो वे दे सकते हों, तथा ऐसे श्रमिकों की भर्त्ती एवं परिवहन के बारे में किसी भी ऐसे कागजात, लेखा, पुस्तक या अन्य

अभिलेख जो उसके अधिकार में हो, प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेंगे।

60. प्रत्येक प्रमुख नियोजक और प्रत्येक ठेकेदार, जिसमें ऐसे प्रमुख नियोजकों एवं ठेकेदारों के मैनेजर या एजेंट भी शामिल होंगे, अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों को अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिये किसी भी प्रवेश, निरीक्षण, पूछ-ताछ अथवा जांच-पड़ताल इत्यादि के लिये सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेंगे।

फारम 1

[नियम 3(1) (द्रष्टव्य)]

प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने वाली स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन।

1. स्थापना का नाम और स्थान—

2. स्थापना का डाक पता—

3. प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में पिता/पति का नाम दें)।

4. निदेशकों/व्यक्तिगत भागीदारों आदि के नाम और पते (कंपनियों और फर्मों की दशा में)।

5. प्रबन्धक का या स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता।

6. स्थापना में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप।

7. ठेकेदारों और प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां—

(क) ठेकेदारों के नाम और पता—

(ख) कार्य का स्वरूप जिसके लिये प्रवासी कर्मकार भर्ती किए जायेंगे या नियोजित हैं।

(ग) प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या।

(घ) प्रत्येक ठेकेदार के अधीन कार्य के प्रारम्भ की अनुमित तिथि।

(ङ) प्रत्येक ठेकेदार के अधीन प्रवासी कर्मकारों के नियोजन की समाप्ति की अनुमित तिथि।

8. संलग्न कोषागार चालान की विशिष्टियां (कोषागार चालान संख्या और तिथि, कोषागार का नाम तथा राशि)।

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि जहांतक मेरी जानकारी है, ऊपर दी गयी विशिष्टियां सही हैं।

प्रधान नियोजक का हस्ताक्षर और
पदनाम
मुहर और स्टाम्प

रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का कार्यालय

कोषागार चालान सहित आवेदन प्राप्त करने की तिथि—

फारम 2

[नियम 4(1) द्रष्टव्य]

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

संख्या......

तारीख............

बिहार सरकार

रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का कार्यालय ।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियम एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इसके द्वारा एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र.............................को निम्नांकित विशिष्टियों के साथ दिया जाता है :—

1. स्थापना का नाम और स्थान—

2. स्थापना का डाक पता—

3. प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता—(व्यक्तियों की दशा में पिता।पति का नाम)

4. निदेशकों।व्यक्तिगत भागीदारों आदि के नाम और पते (कंपनियों और फर्मों की दशा में) ।

5. प्रबन्धक का या स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता ।

6. स्थापना में किए जाने वाले कार्य का स्वरूप ।

7. ठेकेदारों के नाम और पता—

8. कार्य का स्वरूप जिसके लिये प्रवासी कर्मकार नियोजित किए जायें या नियोजित हैं ।

9. प्रत्येक ठेकेदार के माध्यम से किसी भी दिन नियोजित किए जाने वाले प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।

10. प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से संबंधित अन्य विशिष्टियां— (1)
(2)

रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर ।

फारम 3

नियम 4(2) द्रष्टव्य

स्थापनाओं की पंजी ।

क्रम संख्या	रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख	रजिस्ट्रीकृत स्थापना का नाम, पता (जिसमें डाक पता शामिल है) और स्थान	प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता	स्थापनाओं के निदेशकों। भागीदारों के नाम और पते	प्रबंधक का या स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम और पता	स्थापना में किए जाने वाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग, विनिर्माण या धंधे का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7

किसी दिन सीधे नियोजित प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।	ठेकेदार का नाम और पता ।	उस कार्य का स्वरूप जिसके लिए प्रवासी कर्मकार भर्ती किए जायेंगे या नियोजित हैं ।	ठेकेदार के माध्यम से किसी दिन नियोजित प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।	प्रवासी कर्मकारों के नियोजन की संभाव्य अवधि ।	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13

फारम 4

[नियम 7 (1) द्रष्टव्य]

भर्ती के लिए लाइसेंस का आवेदन।

1. ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में उसके पिता।पति का नाम भी दें)।

2. जन्म-तिथि और उम्र (व्यक्तियों की दशा में)।

3. उस स्थापना की विशिष्टियां जहां प्रवासी कर्मकारों को नियोजित होना है :—

(क) स्थापना का नाम और पता

(ख) स्थापना में किए जानेवाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग, विनिर्माण या धंधे का प्रकार।

(ग) अधिनियम के अधीन स्थापना के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तिथि।

(घ) प्रधान नियोजक का नाम और पता।

4. प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां—

(क) उस कार्य का स्वरूप जिस पर स्थापना में प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जायेंगे।

(ख) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि (प्रारम्भ और समाप्ति की प्रस्तावित तिथियों की विशिष्टियां दें)।

(ग) कार्यस्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबन्धक का नाम और पता।

(घ) प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी दिन स्थापना में नियोजित करना प्रस्तावित हो।

(ङ) निदेशकों।भागीदारों के नाम और पते (कंपनियों और फर्मों की दशा में)।

(च) यथास्थिति कंपनी।फर्म के कारबार के संचालन के लिए कंपनी।फर्म का।के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति।व्यक्तियों कार के नाम और पता।पते।

5. क्या विगत पांच वर्षों के भीतर ठेकेदार किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था, यदि हां, तो ब्योरे दें।

6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने का अथवा पहले के किसी ठेके से संबंधित प्रतिभूति निक्षेपों को जब्त करने का कोई आदेश था, यदि हां, तो ऐसे आदेश की तारीख और ऐसे आदेश देने वाले लाइसेंस अधिकारी का नाम और पता।

7. क्या ठेकेदार ने विगत पांच वर्षों के भीतर किसी ग्रन्य स्थापना में कार्य किया है ? यदि हां, तो प्रधान नियोजक, स्थापना ग्रौर कार्य का ब्योरा दें।

8. क्या फारम 6 में प्रधान नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है ?

9. चुकाई गई लाइसेंस फीस (कोषागार चालान की संख्या ग्रौर तिथि, कोषागार का नाम ग्रौर राशि)।

10. प्रतिभूति निक्षेप की राशि यदि हो (कोषागार चालान की संख्या ग्रौर तिथि, कोषागार का नाम ग्रौर राशि)।

घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि जहांतक मेरी जानकारी है, उपर्युक्त ब्योरे सही हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर।
(ठेकेदार)

स्थान—

तारीख—

टिप्पणी—ग्रावेदन के साथ एक कोषागार चालान, जिसके द्वारा विहित लाइसेंस फीस ग्रौर प्रतिभूति निक्षेप, यदि हों, जमा किया गया हो, ग्रौर प्रधान नियोजक द्वारा फारम 6 में दिया गया प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(लाइसेंस ग्रधिकारी के कार्यालय में भरा जायगा।)

फीस।प्रतिभूति निक्षेप संबंधी कोषागार चालान सहित ग्रावेदन प्राप्त होने की तारीख।

लाइसेंस ग्रधिकारी का हस्ताक्षर।

फारम 5

[नियम 7(2) द्रष्टव्य]

नियोजन के लिए लाइसेंस का ग्रावेदन।

1. ठेकेदार का नाम ग्रौर पता (व्यक्तियों की दशा में उसके पिता।पति का नाम भी दें)।

2. जन्म-तिथि ग्रौर उम्र (व्यक्तियों की दशा में)।

3. उस स्थापना की विशिष्टियां जहां प्रवासी कर्मकारों को नियोजित होना है—

   (क) स्थापना का नाम ग्रौर पता
   (ख) स्थापना में किए जानेवाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग विनिर्माण या धंधे का प्रकार।
   (ग) ग्रधिनियम के ग्रधीन स्थापना के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या ग्रौर तिथि।
   (घ) प्रधान नियोजक का नाम ग्रौर पता (व्यक्ति की दशा में पिता।पति का नाम भी दें)।

4. प्रवासी कर्मकार की विशिष्टियां—

   (क) उस कार्य का स्वरूप जिसके लिए स्थापना में प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जायेंगे।

(ख) प्रस्तावित ठेका-कार्य की अवधि (प्रारम्भ और समाप्ति की प्रस्तावित तिथियों की विशिष्टियां
(ग) कार्य-स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबन्धक का नाम और पता ।
(घ) प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी दिन स्थापना में नियोजित करना प्रस्तावित हो ।
(ङ) निदेशकों/भागीदारों के नाम और पते (कंपनियों और फर्मों की दशा में) ।
(च) यथास्थिति कंपनी।फर्म के कारबार के संचालन के लिए कंपनी/फर्म का।के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता।पते ।

5. क्या विगत पांच वर्षों के भीतर ठेकेदार किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था ? यदि हाँ, तो ब्योरे दें ।
6. क्या ठेकेदार के विरुद्ध लाइसेंस को रद्द या निलंबित करने का अथवा पहले के किसी ठेके से संबंधित प्रतिभूति निक्षेपों को जब्त करने का कोई आदेश था ? यदि हां, तो ऐसे आदेश की तारीख और ऐसे आदेश देने वाले लाइसेंस अधिकारी का नाम और पता दें ।
7. क्या ठेकेदार ने विगत पांच वर्षों के भीतर किसी अन्य स्थापना में कार्य किया है? यदि हां, तो प्रधान नियोजक, स्थापना और कार्य का ब्योरा दें ।

8. क्या फारम 6 में प्रधान नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है ?
9. चुकाई गई लाइसेंस फीस (कोषागार चालान की संख्या और तिथि, कोषागार का नाम और राशि) ।
10. प्रतिभूति निक्षेप की राशि, यदि कोई हो (कोषागार चालान की संख्या और तिथि, कोषागार का नाम और राशि) ।

घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषित करता हूं कि जहांतक मेरी जानकारी है, उपर्युक्त ब्योरे सही हैं ।

स्थान—

तारीख—

आवेदक का हस्ताक्षर
(ठेकेदार)

टिप्पणी—आवेदन के साथ एक कोषागार चालान, जिसके द्वारा विहित लाइसेंस फीस और प्रतिभूति निक्षेप (यदि हो) जमा किया गया हो और प्रधान नियोजक द्वारा फारम 6 में दिया गया प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

(लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भरा जाएगा ।)

फीस।प्रतिभूति निक्षेप संबंधी कोषागार चालान-सहित आवेदन प्राप्त होने की तारीख ।

लाइसेंस अधिकारी का हस्ताक्षर ।

फारम 6
[नियम 7(3) द्रष्टव्य]

प्रधान नियोजक द्वारा दिया जानेवाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपनी स्थापना में आवेदन............ (ठेकेदार का नाम) को ठेकेदार के रूप में नियोजित किया है अथवा मैं उसे नियोजित करना चाहता हूं। मैं वचन देता हूं कि मैं अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनिमय एवं सेवा शर्त्त) अधिनियम, 1979 और विहार अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनिमय एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 1980 के सभी उपबन्धों से आबद्ध हूं, जहांतक कि ये उपबन्ध मेरी स्थापना में आवेदक द्वारा प्रवासी कर्मकारों के नियोजन के संबंध में मुझ पर लागू होते हैं ।

स्थान—

तारीख—

प्रधान नियोजक का हस्ताक्षर और पदनाम ।
स्थापना का नाम और पता ।

फारम 7

[नियम 10(2) द्रष्टव्य]

प्रतिभूति निक्षेप के समायोजन के लिए आवेदन

ठेकेदार का नाम और पता।	नये लाइसेंस के लिए आवेदन की संख्या और तारीख।	पिछले लाइसेंस की संख्या और उसकी समाप्ति की तारीख।	क्या ठेकेदार का पिछला लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया था।	पिछले लाइसेंस के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप कोषागार चालान की संख्या और तारीख तथा कोषागार का नाम।	पिछले प्रतिभूति निक्षेप की राशि।
1	2	3	4	5	6

नये लाइसेंस के लिए प्रतिभूति निक्षेप की राशि।	नये आवेदन के साथ जमा किये गए शेष प्रतिभूति निक्षेप के कोषागार चालान की संख्या और तारीख, कोषागार का नाम और राशि।	जिस स्थापना के संबंध में नये लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है उसके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख।	प्रधान नियोजक का नाम और पता।	नये आवेदन की विशिष्टियां।	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

स्थान--
तारीख--

आवेदक का हस्ताक्षर

फारम 8

[नियम 11(1) द्रष्टव्य]

बिहार सरकार

लाइसेंन्स अधिकारी का कार्यालय।

लाइसेंस संख्या-- तारीख-- चुकाई गई फीस-- रु०

भर्त्ती करने के लिए लाइसेंस

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन इसके द्वारा.............................(ठीकेदार का नाम) को, अनुबन्ध में विनिर्दिष्ट शर्त्तों के अध्यधीन, एक लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। इसकी विशिष्टियां नीचे दी जाती हैं:---

2. यह लाइसेंस बिहार राज्य के किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थापना में नियोजित करने के प्रयोजनार्थ भर्त्ती करने के लिए है।

3. यह लाइसेंस......................तक प्रवृत्त रहेगा।

विशिष्टियां

(क) ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में उसके पिता।पति के नाम के सहित)--

(ख) कार्य स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबंधक का नाम और पता--

(ग) ठेकेदार के प्रधान नियोजक का नाम और पता---

(घ) स्थापना का नाम और पता (पूरे पते के साथ राज्य और जिला के नाम के सहित) जहां प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने का विचार हो--

(ङ) प्रवासी कर्मकारों को अधिकतम संख्या जिन्हें किसी दिन स्थापना में नियोजित करना प्रस्तावित हो--

(च) उस कार्य का स्वरूप जिस पर प्रवासी कर्मकार नियोजित किये जायेंगे---

(छ) स्थापना में किये जाने वाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग, विनिर्माण या धंधे का प्रकार---

(ज) प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां---

(i) स्थान जहां प्रवासी कर्मकार भर्त्ती किये जायेंगे (पूरे पते के साथ थाना और जिले के नाम के सहित)---

(ii) प्रस्तावित ठेका-कार्य की अवधि जिसमें भर्त्ती किये गये, प्रवासी कर्मकार नियोजित किये जायेंगे---

(iii) प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत विशिष्टियां---

लाईसेन्स अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर

नवीकरण।

(नियम 14 द्रष्टव्य)

नवीकरण की तारीख	नवीकरण के लिए चुकाई गई फीस	समाप्ति की तारीख
1	2	3
(1)		
(2)		
(3)		

तारीख--- लाइसेन्स अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर

अनुबंध

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:—

(1) लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा।

(2) स्थापना में नियोजन के लिए भर्ती किये गये प्रवासी कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों में यथा उपबंधित स्थितियों को छोड़कर लाइसेंस की यथास्थिति मंजूरी या नवीकरण के लिए चुकाई गई फीस लौटाई नहीं जायगी।

(4) ठेकेदार द्वारा प्रवासी कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें, जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू हो, वहां उस अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजन के लिए विहित दरों से कम न होगी, और जहां दरें क़रार, समझौता या पंचाट (अवार्ड) द्वारा नियत हो, वहां उन नियत दरों से कम न होगी।

(5) (क) जहां ठेकेदार द्वारा नियोजन के लिए भर्ती किये गये प्रवासी कर्मकार वही या उसी तरह का कार्य करते हों जो या जिस तरह का कार्य स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हों, वहां ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी-दरें, अवकाश, कार्य-समय तथा सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी जो उसी या उसी तरह के कार्य के लिए स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हों :

परन्तु कार्य के प्रकार के विषय में कोई मतभेद होने पर उसका विनिश्चय श्रमायुक्त, बिहार करेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(ख) पुरुष और महिला प्रवासी कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जायगी।

(ग) अन्य स्थितियों में, ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी-दरें अवकाश, कार्य-समय और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी; जो इन नियमों द्वारा विहित है।

(6) प्रत्येक प्रवासी कर्मकार अधिनियम और इन नियमों में यथाविहित भत्तों, फायदों, सुविधाओं आदि का हकदार होगा।

(7) कोई भी महिला प्रवासी कर्मकार किसी ठेकेदार द्वारा छः बजे पूर्वाह्न के पहले या सात बजे अपराह्न के बाद नियोजित नहीं की जायगी:

परन्तु यह शर्त गर्तमुख स्नानकक्षों (पिटहेड बाथ्स), शिशुकक्षों (क्रेचेज) और भोजशालाओं (कैन्टीन्स) में और अस्पतालों तथा औषधालयों में धात्री/मिडवाइफ और नर्स के रूप में महिला कर्मकारों के नियोजन पर लागू नहीं होगी।

(8) ठेकेदार प्रवासी कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्तों में किये गये किसी परिवर्तन की सूचना लाइसेंस अधिकारी को देगा।

(9) ठेकेदार अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों का पालन करेगा।

(10) लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर के, जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित किये गये हों, किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जायगी।

फारम-8(क)

[नियम 11(1) द्रष्टव्य]

बिहार सरकार।

लाइसेंस अधिकारी का कार्यालय।

लाइसेंस संख्या— तारीख— चुकाई गई फीस— रु०

नियोजन के लिए लाइसेंस

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियम एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन इसके द्वारा ………… (ठेकेदार का नाम) को, अनुबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन, एक लाइसेंस स्वीकृत किया जाता है। इसकी विशिष्टियां नीचे दी जाती हैं।

2. यह लाइसेंस बिहार राज्य में स्थित किसी स्थापना में किसी कार्य निष्पादन के लिए किसी अन्य राज्य से किसी व्यक्ति के नियोजन के लिए है

3. यह लाइसेंस .... तक प्रवृत्त रहेगा।

विशिष्टियां—

(क) ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में उसके पिता/पति के नाम के सहित)।

(ख) कार्यस्थल पर ठेकेदार के अभिकर्ता या प्रबन्धक का नाम और पता।

(ग) ठेकेदार के प्रधान नियोजक का नाम और पता।

(घ) स्थापना का नाम और पता (पूरे पते के साथ राज्य और जिला के नाम सहित) जहां प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करने का विचार हो।

(ङ) प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी दिन स्थापना में नियोजित करना प्रस्तावित हो।

(च) उस कार्य का स्वरूप जिस पर प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किये जायेंगे।

(छ) स्थापना में किये जाने वाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग, विनिर्माण या धंधे का प्रकार।

(ज) प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां—

(*i*) वह स्थान जहां से प्रवासी कर्मकार नियोजन के लिए भर्त्ती किये गये हैं (पूरे पते के साथ राज्य और जिला के नाम के सहित)।

(*ii*) प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि जिसमें प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किये जाएंगे।

(*iii*) प्रवासी कर्मकारों के नियोजन से संबंधित कोई अन्य सुसंगत विशिष्टियां।

लाइसेंस अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर।

नवीकरण।

(नियम 14 द्रष्टव्य)

नवीकरण की तारीख	नवीकरण के लिए चुकाई गई फीस	समाप्ति की तारीख
1	2	3
1.		
2.		
3.		

तारीख—

लाइसेन्स अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर।

अनुबन्ध ।

यह लाइसेंस निम्नलिखित शर्त्तों के अध्यधीन है :—

(1) लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा।

(2) स्थापना में नियोजित किए गए प्रवासी कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों में यथाउपबन्धित स्थितियों को छोड़कर लाइसेंस की यथास्थिति मंजूरी या नवीकरण के लिए चुकाई गई फीस लौटाई नहीं जायगी ।

(4) ठेकेकार द्वारा प्रवासी कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें, जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू हो, वहां उस अधिनियम के अधीन ऐसे नियोजन के लिए विहित दरों से कम न होगी, और जहां दरें करार, समझौता या पंचाट (एवार्ड) द्वारा नियत हो, वहां उन नियत दरों से कम न होगी।

(5) (क) जहां ठेकेदार द्वारा नियोजित किए गए प्रवासी कर्मकार वही या उसी तरह का कार्य करते हों जो या जिस तरह का कार्य, स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकार करते हों, वहां ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी-दरें, अवकाश, कार्य-समय तथा सेवा की अन्य शर्त्तें वही होंगी जो उसी या उसी तरह के कार्य के लिए स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मकारों पर लागू होती हो :

परन्तु कार्य के प्रकार के विषय में कोई मतभेद होने पर उसका विनिश्चय श्रमायुक्त, विहार करेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(ख) पुरुष और महिला प्रवासी कर्मकारों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जायेगी।

(ग) अन्य स्थितियों में, ठेकेदार के प्रवासी कर्मकारों की मजदूरी दरें, अवकाश कार्य, समय और अन्य सेवा शर्त्तें वही होंगी जो इन नियमों द्वारा विहित हैं ।

(6) प्रत्येक प्रवासी कर्मकार अधिनियम और इन नियमों में यथाविहित भत्तों, फायदों, सुविधाओं आदि का हकदार होगा ;

(7) कोई भी महिला प्रवासी कर्मकार किसी ठेकेदार द्वारा छः बजे पूर्वाह्न के पहले या सात बजे अपराह्न के बाद नियोजित नहीं की जाएगी .

परन्तु यह शर्त्त गर्तमुख स्नान कक्षों (पिटहेड बाथ्स), शिशुकक्षों (क्रेचेज) और भोजशालाओं (कैंटीन्स) में और अस्पतालों तथा औषधालयों में धात्री (मिडवाइफ) और नर्स के रूप में महिला कर्मकारों के नियोजन पर लागू नहीं होगी।

(8) ठेकेदार प्रवासी कर्मकारों की संख्या या कार्य की शर्त्तों में किए गए किसी परिवर्त्तन की सूचना लाइसेंस अधिकारी को देगा ।

(9) ठेकेदार अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबन्धों का पालन करेगा ।

(10) लाइसेंस की एक प्रति उस परिसर के, जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित किए गए हों, किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।

लाइसेंस अधिकारी के कार्यालय में भरा जायगा ।

कोषागार चालान सहित आवेदन प्राप्त करने की तिथि—

लाइसेंस अधिकारी का हस्ताक्षर

फारम 9

[नियम 14(2) द्रष्टव्य]

लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन ।

1. ठेकेदार का नाम और पता (व्यक्तियों की दशा में उसके पिता/पति के नाम के सहित) ।
2. जन्म-तिथि और उम्र (व्यक्तियों की दशा में)
3. लाइसेंस की संख्या और तारीख

4. पिछले लाइसेंस की समाप्ति की तारीख
5. क्या ठेकेदार का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया गया था ?
6. उन स्थापनाओं की विशिष्टियां जिनमें प्रवासी कर्मकार नियोजित किए जायेंगे—
   (क) स्थापना का नाम और पता
   (ख) स्थापना में किए जानेवाले कारबार, व्यवसाय, उद्योग, विनिर्माण या धंधे का प्रकार ।
   (ग) अधिनियम के अधीन स्थापना के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की संख्या और तारीख ।
   (घ) प्रधान नियोजक का नाम और पता
7. प्रवासी कर्मकारों की विशिष्टियां—
   (क) उस कार्य का स्वरूप जिस स्थापना में प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जायेंगे ।
   (ख) प्रस्तावित ठेका-कार्य की अवधि (प्रारम्भ और समाप्ति की प्रस्तावित तिथियों की विशिष्टियां दें) ।
   (ग) कार्य स्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता/प्रबन्धक का नाम और पता ।
   (घ) प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या जिन्हें किसी दिन स्थापना में नियोजित करने का विचार हो ।
   (ङ) निदेशकों/भागीदारों के नाम और पते (कम्पनियों और फर्मों की दशा में) ।
   (च) यथास्थिति कम्पनी/फर्म के कारबार के संचालन के लिए कंपनी/फर्म का/के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता/पते ।
   (छ) संलग्न कोषागार चालान की संख्या और तारीख, कोषागार का नाम और राशि ।

स्थान—

तारीख— आवेदक का हस्ताक्षर ।

फारम 8 (ख)

[नियम 11 (3) द्रष्टव्य]

ठेकेदारों को स्वीकृत लाइसेंस की पंजी ।

क्रम सं० ।	लाइसेंस की संख्या और तारीख ।	अधिनियम की धारा जिसके अधीन लाइसेंस जारी किया गया है ।	ठेकेदार का नाम और पता ।	कार्यस्थल पर ठेकेदार के अभिकर्त्ता या प्रबंधक का नाम और पता ।	ठेकेदार के प्रधान नियोजक का नाम और पता ।	ठेकेदार द्वारा किसी दिन भर्त्ती/नियोजित किए जानेवाले प्रवासी कर्मकारों की प्रस्तावित अधिकतम संख्या ।	उस कार्य का स्वरूप जिसके लिए प्रवासी कर्मकार भर्त्ती किए जायेंगे या नियोजित किए जायेंगे ।	प्रस्तावित ठेका कार्य की अवधि जिसमें प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित किए जायेंगे ।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

फारम 10

[नियम 21 (1) द्रष्टव्य]

इस फारम में प्रवासी कर्मकार/कर्मकारों की भर्त्ती और नियोजन के बारे में नियम 21 के उप-नियम (1) के अधीन यथाविहित विशिष्टियां अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनिमय एवं सेवा शर्त्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 12 की उप-धारा (2) के नीचे उल्लिखित स्पष्टीकरण में विनिदिष्ट प्राधिकारियों को भेजी जायेंगी :—

(1) ठेकेदार का नाम और पता—

(2) उस उप-ठेकेदार का नाम और पता जिसके माध्यम से भर्त्ती की गयी है—

(3) स्थापना का नाम और पता—

(4) प्रधान नियोजक का नाम और पता—

(5) उस राज्य का नाम जहां कार्य-स्थान स्थित है—

(6) उस राज्य का नाम जहां भर्त्ती की गई—

क्रम संख्या	प्रवासी कर्मकार का नाम।	पिता/पति का नाम।	(लिंग) स्त्री या पुरुष।	उम्र	स्थायी घर का पता।	प्रवासी कर्मकार के निकट संबंधी का नाम और पता।	निवास-राज्य में वास-स्थान और उसका पता।	चुकाई गई विस्थापन भत्ते की राशि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

चुकाई गई वहिर्मुखी यात्रा-भत्ते की राशि।	वहिर्मुखी यात्रा-अवधि के लिए चुकाई गई मजदूरी की राशि।	किए जाने वाले कार्य का स्वरूप।	भर्त्ती की तारीख।	नियोजन की तारीख।	देय मजदूरी और अन्य भत्तों की दरों के ब्योरे।	नियोजन के अनुबंध की अवधि।	अन्य सेवा शर्त्तों के ब्योरे।	अभ्युक्ति
10	11	12	13	14	15	16	17	18

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर ।

निम्नलिखित को प्रस्तुत—

तारीख—

(1) ....
उस राज्य का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जहां प्रवासी कर्मकार नियोजित है/हैं ।

(2) ....
उस राज्य का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जहां से प्रवासी कर्मकार भर्त्ती किया गया है/किए गए हैं ।

प्रति..........................(प्रधान नियोजक) को अग्रसारित ।

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर ।

तारीख—

टिप्पणी—यदि संबद्ध प्रवासी कर्मकार एक से अधिक राज्यों से भर्त्ती किए गए हों, तो ऐसे प्रत्येक राज्य के संबंध में अलग-अलग विवरणी प्रस्तुत की जायेंगी ।

फारम 11

(नियम 24 द्रष्टव्य)

[ठेकेदार द्वारा अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियम एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 12 की उप-धारा (2) के नीचे लिखित स्पष्टीकरण के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानेवाली विवरणी।]

(1) ठेकेदार का नाम और पता—

(2) उस उप-ठेकेदार का नाम और पता जिसके माध्यम से भर्त्ती की गयी है—

(3) स्थापना का नाम और पता—

(4) प्रधान नियोजक का नाम और पता—

(5) राज्य का नाम जिसमें कार्य-स्थान स्थित है—

(6) राज्य का नाम जिसमें भर्त्ती की गई—

क्रम संख्या।	प्रवासी कर्म-कारों के नाम	पिता/पति का नाम	(लिंग) पुरुष या महिला।	पदनाम।	आयु।	स्थाई घर का पता और राज्य का नाम।	निवास-राज्य में वास-स्थान और उसका पता।	नियोजन की तारीख।	वह तारीख जब वह नियोजनहीन हो गया।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

60

कार्य के कुल दिन।	चुकाई गई मजदूरी की दरों और अन्य भत्तों के ब्योरे।	चुकाये गये विस्थापन भत्ते की रकम।	चुकाया गया बहिर्मुखी यात्रा-भत्ता और बहिर्मुखी यात्रा अवधि के लिए चुकाई गई मजदूरी की रकम।	चुकाये गये वापसी यात्रा भत्ते और वापसी यात्रा अवधि के लिए चुकाई गई मजदूरी की राशि।	चुकाई गई कुल मजदूरी।	प्रतिकर के और अन्य भत्तों के ब्योरे।	कटौतियों के ब्योरे यदि कोई हों।	अग्रिम की राशि, यदि कोई हो।	वसूल की गई अग्रिम की राशि, यदि कोई हो।	अभ्युक्ति
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

61

घोषणा ।

मैं हम इसके द्वारा घोषणा करता हूं । करते हैं कि मैंने।हमने अपने द्वारा नियोजित उपर्युक्त प्रवासी कर्मकार।कर्मकारों को देय सारी मजदूरी और अन्य पावने जिनमें विस्थापन भत्ता, वहिर्मुखी और वापसी यात्रा-भत्ता तथा यात्रा अवधि की मजदूरी भी सम्मिलित हैं, चुका दिया है।दिए हैं ।

स्थान--

तारीख--

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

निम्नलिखित को उपस्थापित--

(1) .... (उस राज्य का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जिसमें प्रवासी कर्मकार।कर्मकार नियोजित है।हैं) ।

(2) (उस राज्य का विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जहां से प्रवासी कर्मकार।कार्यकार भर्ती किया गया है।किए गए हैं) ।

प्रतिलिपि.................... (प्रधान नियोजक) को अग्रसारित ।

स्थान--

तारीख--

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ।

टिप्पणी---यदि संबंध प्रवासी कर्मकार एक से अधिक राज्यों से भर्ती किए गए हों, तो ऐसे प्रत्येक राज्य के संबंध में अलग-अलग विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी ।

फारम 12

(नियम 48 द्रष्टव्य)

ठेकेदारों की पंजी

(1) प्रधान नियोजक का नाम और पता--

(2) स्थापना का नाम और पता--

ठेकेदार का नाम और पता ।	ठेके पर कार्य का स्वरूप ।	ठेका कार्य का स्थान ।	ठेके की अवधि से	ठेके की अवधि तक	ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।
1	2	3	4	5	6

फारम 13

(नियम 49 द्रष्टव्य)

ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की पंजी

ठेकेदार का नाम और पता—

स्थापना का नाम और पता—

स्थापना का नाम और पता जिसमें। जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं—

प्रधान नियोजक का नाम और पता—

क्रम संख्या।	प्रवासी कर्मकार का नाम और कुल नाम (सरनेम)।	आयु और लिंग (स्त्री है या पुरुष)।	पिता।पति का नाम।	नियोजन का स्वरूप।पदनाम।	प्रवासी कर्मकारों का स्थायी घर का पता (ग्राम और तहसील। तालुक और जिला)
1	2	3	4	5	6

स्थानीय पता	नियोजन के प्रारम्भ की तारीख।	प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान।	नियोजन की समाप्ति की तारीख।	नियोजन समाप्ति के कारण।	अभ्युक्ति
7	8	9	10	11	12

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

फारम 14

(नियम 50 द्रष्टव्य)

सेवा प्रमाण-पत्र

ठेकेदार का नाम और पता—

स्थापना का नाम और पता जिसमें। जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं—

कार्य का स्वरूप और स्थान—

प्रधान नियोजक का नाम और पता—

प्रवासी कर्मकार का नाम और पता—

आयु या जन्म की तारीख—

परिचय चिह्न—

पिता।पति का नाम—

क्रम संख्या।	कुल अवधि जिसके लिए नियोजित किया गया है।		किए गए कार्य का स्वरूप।	मजदूरी की दर [मात्रानुपाती (पीस वर्क) कार्य की दशा में इकाई की विशिष्टियों सहित]।	अभ्युक्ति
	से	तक			
1	2		3	4	5

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।

प. 15

[नियम 51 (1) द्रष्टव्य]

विस्थापन और बहिर्मुखी यात्रा भत्ता पंजी।

ठेकेदार का नाम और पता—— स्थापना का नाम और पता——

प्रधान नियोजक का नाम और पता—— मास और वर्ष——

क्रम संख्या।	प्रवासी कर्मकार का नाम।	पिता/पति का नाम।	घर का स्थायी पता और राज्य।	निवास-राज्य में वासस्थान और उसका पता।	पदनाम	मजदूरी की दर।	एक माह में देय मजदूरी।	भर्ती का स्थान।	कार्य स्थान और उसका पता तथा राज्य का नाम।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वास-स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन/बस अड्डा।	कार्य-स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन/बस अड्डा।	कार्य-स्थान से यात्रा के प्रारंभ की तारीख और समय।	कार्य-स्थान पर पहुंचने की संभावित तारीख और समय।	निवास—राज्य में वास-स्थान से कार्य-स्थान तक यात्रा की रीति के ब्योरे।	स्तम्भ 15 में दर्शित यात्राओं की रीति के अनुसार बस भाड़ा और/या द्वितीय श्रेणी रेल-भाड़ा और या अन्य यात्रा व्यय की रकम अलग-अलग। रु० पै०	स्तम्भ 16 में दर्शित रकमों का योग। रु० पै०	विस्थापन भत्ते की रकम। रु० पै०	बहिर्मुखी यात्रा भत्ते की रकम। रु० पै०
11	12	13	14	15	16	17	18	19

बहिर्मुखी यात्रा अवधि के लिए मजदूरी। (रु० पै०)	चुकाई गई कुल रकम। (रु० पै०)	वह तारीख जब रकम दी गयी।	प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान।	कार्य-स्थान पर पहुंचने की वास्तविक तारीख और समय।	बहिर्मुखी यात्रा के लिए देय शेष मजदूरी, यदि कोई हो। (रु० पै०)	स्तम्भ 25 में दर्शित शेष मजदूरी को अदायगी की तारीख।	प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान।	अभ्युक्ति।
20	21	22	23	24	25	26	27	28

टिप्पणी--यात्राओं की विभिन्न रीतियों को अलग-अलग दिखाएँ। प्रत्येक अलग-अलग प्रवासी कर्मकार के सामने प्रविष्टियां करनी हैं।

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
तारीख.............

फारम 16

[नियम 81(1) देखिए]

वापसी यात्रा-भत्ता की पंजी

ठेकेदार का नाम और पता---

स्थापना का नाम और पता---

प्रधान नियोजक का नाम और पता---

मास और वर्ष---

क्रम सं०।	प्रवासी कर्मकार का नाम।	पिता/पति का नाम।	घर का स्थायी पता और राज्य।	निवास--राज्य में वास-स्थान और उसका पता।	पदनाम।	मजदूरी की दर। (रु० पै०)
1	2	3	4	5	6	7

कार्य का स्थान।	कार्य-स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन/बस अड्डा।	निवास—राज्य में वास-स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन/बस अड्डा।	कार्य-स्थान से यात्रा के प्रारम्भ की तारीख और समय।	निवास—राज्य में वास-स्थान पर पहुंचने की संभावित तारीख और समय।	निवास—राज्य में कार्य-स्थल से वास-स्थान तक यात्रा की संभावित रीति।	स्तम्भ 13 में दर्शित यात्रा की संभावित रीति के अनुसार बस भाड़ा और/या द्वितीय श्रेणी रेल-भाड़ा और/या अन्य यात्रा व्यय की रकम अलग-अलग। रु० पै०
8	9	10	11	12	13	14

स्तम्भ सं० 14 में दर्शित रकमों का योग। रु० पै०	वापसी यात्रा-भत्ते की रकम। रु० पै०	वापसी यात्रा अवधि के लिए मजदूरी। रु० पै०	चुकाई गई कुल रकम। रु० पै०	वह तारीख जब रकम चुकाई गई।	प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान।	अभ्युक्ति।
15	16	17	18	19	20	21

यात्रा की विभिन्न रीतियों को अलग-अलग दिखाएं।

टिप्पणी—प्रत्येक अलग-अलग प्रवासी कर्मकार के सम्मुख प्रविष्टियां करनी हैं।

ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।

तारीख·······

फारम 17

[नियम 52(2) (क) द्रष्टव्य]

उपस्थिति नामावली/मस्टर रौल

ठेकेदार का नाम और पता--

कार्य का स्वरूप और अवस्थापन--

स्थापना का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं--

प्रधान नियोजक का नाम और पता--

मास के लिए ।

क्रम सं० ।	प्रवासी कर्मकार का नाम ।	पिता/पति का नाम ।	लिंग (पुरुष है या महिला) ।	तारीखें 1	2	3	4	5	अभ्युक्ति ।
1	2	3	4			5			6

फारम 18

[नियम 52(2) (क) द्रष्टव्य]

मजदूरी-पंजी ।

ठेकेदार का नाम और पता--

कार्य का स्वरूप और अवस्थापन--

स्थापना का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं--

प्रधान नियोजक का नाम और पता--

मजदूरी की अवधि--

क्रम सं० ।	प्रवासी कर्मकार का नाम ।	कर्मकार पंजी में क्रम सं० ।	पदनाम/कार्य का स्वरूप ।	कार्य किए गए दिनों की सं० ।	किए गये कार्य की इकाई ।	मजदूरी दैनिक दर/मात्रानुपाती दर । रु० पै०	अर्जित मजदूरी । मूल मजदूरी रु० पै०	महंगाई भत्ता रु० पै०	अधिकाल । रु० पै०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

रकम ।						
अन्य नकद भुगतान का स्वरूप दिखाया जाना है ।	योग ।	कटौतियां, यदि कोई हों (कटौती का प्रकार दिखलाएं) ।	चुकाई गई शुद्ध रकम ।	प्रवासी कर्मकार का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान ।	ठेकेदार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का आद्याक्षर ।	
रु. पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०			
11	12	13	14	15	16	

फारम 19

[नियम 52(2) (ग) द्रष्टव्य]

नुकसान या हानि के लिए कटौती की पंजी

ठीकेदार का नाम और पता.........................

कार्य का स्वरूप और अवस्थापन.................

स्थापना का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं...........

प्रधान नियोजक का नाम और पता..........

क्रम सं० ।	प्रवासी कर्मकार का नाम ।	पिता/पति का नाम ।	पदनाम/ नियोजन का स्वरूप ।	नुकसान या हानि के ब्योरे ।	नुकसान या हानि की तारीख ।	क्या प्रवासी कर्मकार ने कटौती के विरुद्ध कारण दिए थे ?	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया था ।
1	2	3	4	5	6	7	8

अधिरोपित (इंपोज्ड) कटौती की रकम ।	किस्तों की संख्या ।	वसूली की तारीख ।		अभ्युक्ति ।
		प्रथम किस्त ।	अंतिम किस्त ।	
9	10	11	12	13

फारम 20

[नियम 52 (2) (ग) द्रष्टव्य]

जुर्माना की पंजी

ठीकेदार का नाम और पता......................

कार्य का स्वरूप और अवस्थापन...................

स्थापना का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं..........

प्रधान नियोजक का नाम और पता........

क्रम सं० ।	प्रवासी कर्मकार का नाम ।	पिता/पति का नाम ।	पदनाम/ नियोजन का स्वरूप ।	कार्य/चूक जिसके लिए जुर्माना लगाया गया ।	अपराध की तारीख ।	क्या प्रवासी कर्मकार ने जुर्माने के विरुद्ध कारण दिये थे ?
1	2	3	4	5	6	7

किस्तों की संख्या जिनमें अग्रिम लौटाया जाना हैं ।	लौटाने की प्रत्येक किस्त की तारीख और रकम ।	वह तारीख जिस तारीख को अंतिम किस्त लौटायी गई ।	अभ्युक्ति ।
8	9	10	11

[नियम 52 (2) (घ) द्रष्टव्य]

अधिकाल (ओभर टाइम) पंजी

ठीकेदार का नाम और पता........................

कार्य का स्वरूप और अवस्थापन..................

स्थापना का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन प्रवासी कर्मकार नियोजित हैं.........

प्रधान नियोजक का नाम और पता........

क्रम सं० ।	प्रवासी कर्मकार का नाम ।	पिता/पति का नाम ।	लिंग (पुरुष या महिला) ।	पदनाम/नियोजन का स्वरूप ।	वह तारीख जिस तारीख को अधिकाल कार्य किया गया ।	कुल कितना अधिकाल कार्य किया गया या मात्रानुपाती दर की दशा में किया गया उत्पादन ।
1	2	3	4	5	6	7

मजदूरी की सामान्य दर।	मजदूरी की अधिकाल दर।	अधिकाल उपार्जन।	वह तारीख जिस तारीख को अधिकाल मजदूरी दी गयी।	अभ्युक्ति।
8	9	10	11	12

फारम-23

[नियम 56 (1) द्रष्टव्य]

ठेकेदार द्वारा लाइसेंस पदाधिकारी को भेजे जानेवाले विवरणी।

...... को समाप्त होने वाली छमाही।

1. ठेकेदार का नाम और पता—

2. स्थापना का नाम और पता—

3. प्रधान नियोजक का नाम और पता—

4. ठेके की अवधि— से तक।

5. छमाही के दौरान उन दिनों की संख्या, जिसमें—

(क) प्रधान नियोजक की स्थापना में कार्य हुआ—

(ख) ठेकेदार की स्थापना में कार्य हुआ—

6. छमाही के दौरान किसी भी दिन नियोजित प्रवासी कर्मकारों की अधिकतम संख्या—

पुरुष।	महिलाएं।	बच्चे।	योग।

7. (1) कार्य के दैनिक घंटे और समय विस्तार—

(क) क्या साप्ताहिक अवकाश-दिन मनाया गया ?
यदि हां तो किस दिन ?

(ञ) यदि हां तो क्या उस दिन के लिए मजदूरी दी गयी ?
(ट) किए गए अधिकाल कार्य के श्रम-घंटों की संख्या—

8. निम्नलिखित द्वारा किए गए कार्य के श्रम-दिनों की संख्या—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग

9. दी गई मजदूरी की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग

टिप्पणी—मजदूरी में वहिर्मुखी और वापसी यात्रा अवधियों की म॰ सम्मिलित नहीं होगी ।

10. मजदूरी से कटौतियों की रकम, यदि कोई हो—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग

11. चुकाये गए विस्थापन भत्ते की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग।

12. चुकाये गए वहिर्मुखी यात्रा भत्ते की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग ।

13. वहिर्मुखी यात्राओं की अवधि के लिए चुकायी गई मजदूरी की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग ।

14. चुकाये गए वापसी यात्रा भत्तों की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग ।

15. वापसी यात्रा-अवधि के लिए चुकायी गई मजदूरी की रकम—

पुरुष ।	महिलाएं ।	बच्चे ।	योग ।

16. क्या निम्नलिखित व्यवस्था हैं—

(क) निवास स्थान,
(ख) संरक्षात्मक परिधान,
(ग) भोजशाला (कैन्टीन),
(घ) विश्राम-कक्ष,
(ङ) शौचालय और मूत्रालय,
(च) पेयजल,
(छ) शिशुकक्ष,
(ज) चिकित्सीय सुविधाएं,
(झ) प्राथमिक उपचार

(यदि उत्तर हां में हैं तो संक्षेप में बताएं कि व्यवस्था का स्वरूप क्या है)।

स्थान—

तारीख—

ठीकेदार का हस्ताक्षर।

फारम 24

[नियम 56 (2) द्रष्टव्य]

रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रधान नियोजक की वार्षिक विवरणी।

31 दिसम्बर को वर्ष समाप्ति।

1. प्रधान नियोजक का पूरा नाम और पता—
2. स्थापना का नाम—
   (क) जिला—
   (ख) डाक पता—
   (ग) चलायी जा रही संक्रिया (आपरेशन)/उद्योग/कार्य का स्वरूप—
3. प्रबंधक या स्थापना के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पूरा नाम।
4. वर्ष के दौरान स्थापना में कार्य करने वाले ठेकेदारों की संख्या [अनुबन्ध (एनेक्सचर) में ब्यौरे दें]।
5. कार्यसंक्रिया का स्वरूप, जिसमें प्रवासी कर्मकार लगाए गए—
6. वर्ष के दौरान कुल कितने दिन प्रवासी कर्मकार को नियोजित किया गया—
7. वर्ष के दौरान प्रवासी कर्मकार द्वारा किए गए कार्य के श्रम दिनों की कुल संख्या।
8. वर्ष के दौरान किसी भी दिन सीधे नियोजित किए गए कर्मकारों की अधिकतम संख्या।
9. वर्ष के दौरान वैसे दिनों की कुल संख्या, जिनमें श्रमिकों को सीधे नियोजित किया गया—
10. सीधे नियोजित कर्मकारों द्वारा कुल कितने श्रम दिन कार्य हुआ—
11. स्थापना के प्रबंध में उसके अवस्थापन में या रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रीकर्त्ता को दिए गए आवेदन में लिखित किन्हीं अन्य ब्योरों में यदि कोई परिवर्तन हो तो तारीख सहित इसका उल्लेख करें।

स्थान—

तारीख—

प्रधान नियोजक।

फारम 24 का अनुबन्ध (एनेक्सचर)

ठेकेदार का नाम और पता ।	ठेके की अवधि से	तक	कार्य का स्वरूप ।	प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों की अधिकतम संख्या ।	कार्य किए गए दिनों की संख्या ।	कार्य किए श्रम दिनों की संख्या ।
1	2	3	4	5	6	7

(13/एफ 1-4011/81-श्र०-नि०—295)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० पी० बोस,
सरकार के अवर-सचिव ।

8 जून 1981

एस० ओ० 824, दिनांक 10 जून, 1981—एस० ओ० 823, दिनांक 10 जून, 1981 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

(13/एफ 1-4011/81-श्र० एवं नि०—296)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एस० पी० बोस,
सरकार के अवर-सचिव ।

CONTENTS.

The Bihar Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 1980.

CHATER I

	Page
1. Short title and commencement :	92
2. Defenition	92

CHAPTER II

3. Manner of making application for registration of establishment.	93
4. Issue of Certificate of registration ..	94
5. Circumstances in which application for registration may be rejected.	94
6. Amendment of Certificate of registration ..	94
7. Application for licence	95
8. Matters to be taken into consideration in granting or refusing a licence.	96
9. Refusal to grant licence	97
10. Security	98
11. Forms and terms and conditions of licence	98
12. Fees	100
13. Amendment of licence	101
14. Renewal of licence	102
15. Period of renewal of thee license ..	103
16. Issue of duplicate certificate of registration or licence.	103
17. Refund of Security	103
18. Appeals and procedure	103
19. Obtaining of copies of orders ..	105
20. Payment of fees and security deposits ..	105

CHAPTER III

21. Particulars of migrant workmen ..	106
22. Return fare	106
23. Pass Book	107
24. Return and Report	108